प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

अपर निदेशक
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
मण्डल मिर्जापुर, उ0प्र0।

पत्रांक–SPMU/NHM/Visit/2019-20/32A/ 9115 दिनांक–03/02/2020

विषयः– दिनांक 20 से 24 जनवरी, 2020 तक एन0एच0एम0 के अन्तर्गत संचालित कार्यक्रमों के राज्य स्तरीय सहयोगात्मक पर्यवेक्षण के दौरान प्रकाश में आये मुख्य बिन्दुओं पर समयबद्ध अपेक्षित सुधार/कार्यवाही के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयांक के कम में अवगत कराना है कि दिनांक 20 से 24 जनवरी, 2020 के मध्य राज्य स्तर से जनपदीय नामित अधिकारियों द्वारा एन0एच0एम0 के अन्तर्गत संचालित कार्यक्रमों के प्रभावी संचालन हेतु जनपद मिर्जापुर, सोनभद्र एवं सन्त रविदास नगर का सहयोगात्मक पर्यवेक्षण किया गया एवं दिनांक 23 जनवरी 2020 को मण्डलीय समीक्षा बैठक आयोजित की गयी थी तद्सम्बन्ध में किये गये सहयोगात्मक पर्यवेक्षण की भ्रमण आख्या पत्र के साथ सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न है।

उपरोक्त के कम में सम्बन्धित बिन्दुओं पर मानको के अनुरूप सुधार हेतु जिला स्वास्थ्य समिति मिर्जापुर, सोनभद्र एवं सन्त रविदास नगर की मासिक समीक्षा बैठक में सम्बन्धित अधिकारी/चिकित्सक/नोडल/ब्लाक प्रभारी/जनपद स्तरीय समन्वयक एवं प्रबन्धकों का समयबद्ध अनुपालन सुनिश्चित किया जाना है। तद्उपरान्त मुख्य चिकित्साधिकारी, मिर्जापुर, सोनभद्र एवं सन्त रविदास नगर द्वारा 02 सप्ताह में संलग्न भ्रमण आख्या की "अनुपालन आख्या" एम0एण्डई0 अनुभाग (menhm2019@gmail.com) एस0पी0एम0यू0, राज्य मुख्यालय को प्रेषित की जानी है।

कृपया आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

संलग्नक– यथोक्त।

भवदीय,

3/02/2020.

(डा0 अशोक कुमार पालीवाल)
राज्य कार्यक्रम प्रबन्धक

पत्रांक–SPMU/NHM/Visit/2019-20/32A तद्दिनांक

प्रतिलिपि– कार्यक्रम हित में सूचनार्थ एवं समयबद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0।
2. अपर मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0।

3. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0।
4. महानिदेशक, परिवार कल्याण महानिदेशालय, उ0प्र0।
5. मण्डलायुक्त, मण्डल मिर्जापुर।
6. समस्त जिलाधिकारी, मण्डल मिर्जापुर।
7. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, मण्डल मिर्जापुर, उ0प्र0 को इस आशय से कि उपरोक्तानुसार समयबद्ध अनुपालन करवाकर भ्रमण आख्या की सूचना एस0पी0एम0यू0, एन0एच0एम0 को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
8. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका, संयुक्त चिकित्सालय /जिला चिकित्सालय मण्डल मिर्जापुर।
9. वित्त नियंत्रक/समस्त महाप्रबंधक/उपमहाप्रबंधक, अधिशासी अभियंता, एस0पी0एम0यू0, एन0एच0एम0, उ0प्र0।
10. समस्त जनपदीय नोडल अधिकारी एवं क्षेत्रीय उप–मुख्य चिकित्साधिकारी, मण्डल मिर्जापुर अपने आवंटित कार्यक्रमो की गुणवत्ता हेतु उपरोक्तानुसार समयबद्ध अनुपालन करना सुनिश्चित करें।
11. मण्डलीय कार्यक्रम/लेखा प्रबन्धक/सलाहकार, क्यू0ए0/कम्युनिटी/एम0एण्डई0/एन0यू0एच0एम0 मण्डल मिर्जापुर।
12. जनपद स्तरीय जिला कार्यक्रम/लेखा प्रबन्धक, डी0पी0एम0यू0, डी0ई0आई0सी/क्यू0ए0/एन0यू0एच0एम0/एन0सी0डी0 इकाई, मण्डल मिर्जापुर।

(डा0 अनामिका मिश्रा)
महाप्रबन्धक, एम0एण्डई0

भ्रमण आख्या जनपद–सोनभद्र

अपर मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 के पत्र संख्या–SPMU/NHM/Visit/2019-20/32A/8690-3 दिनांक 16.01.2020 के अनुपालनार्थ दिनांक 20–24 जनवरी, 2020 को भ्रमण दल द्वारा जनपद सोनभद्र का सहयोगात्मक पर्यवेक्षण किया गया। भ्रमण दल के सदस्यों का विवरण निम्नानुसार है:–

1. डा0 अशोक कुमार पालीवाल, राज्य कार्यक्रम प्रबन्धक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0।
2. डा0 राज किशोर त्रिपाठी, प्रशिक्षण एवं अनुश्रवण अधिकारी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0।
3. श्री अश्वनी कुमार, सलाहकार, मातृ स्वास्थ्य, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0।

सहयोगात्मक पर्यवेक्षण की गयी इकाईयॉ :–

1. जिला संयुक्त चिकित्सालय, सोनभद्र।
2. 100 बेड एम. सी. एच. विंग, सोनभद्र।
3. ब्लॉक स्तरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, ककराही।
4. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, करमा (एच.डब्ल्यू.सी.)।
5. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, घोरावल।
6. उपकेन्द्र खरूवांव (एल–1), विकास खण्ड घोरावल।
7. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, नगवॉ।
8. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, दुद्धी।
9. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, चोपन।
10. शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, तरकापुर जनपद मिर्जापुर।

जनपद की सहयोगात्मक पर्यवेक्षण की विस्तृत आख्या निम्नवत् है :–

क्र. स.	चिकित्सा इकाई	अवलोकन बिन्दु	सुधारात्मक कार्यवाही	कार्यवाही का स्तर
1	जिला संयुक्त चिकित्सालय	• पंजीकरण स्थल पर दिव्यांग हेतु कम ऊँचाई (Low Height) का काउन्टर नहीं बनाया गया है।	• मुख्य चिकित्सा अधीक्षक महोदय को पंजीकरण स्थल पर दिव्यांग हेतु कम ऊँचाई (Low Height) का काउन्टर बनाये जाने का सुझाव दिया गया।	मुख्य चिकित्सा अधीक्षक / मुख्य चिकित्सा अधिकारी / जिला कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई / राज्य स्तर
		• चिकित्सालय के मुख्य द्वार को बंद करके साइड के द्वार का उपयोग किया जा रहा है।	• चिकित्सालय के मुख्य द्वार को सड़क के अनुरूप करते हुये उसे क्रियाशील किया जाये। इमरजेन्सी द्वार भी वहीं से बनाया जाये तथा स्ट्रेचर व व्हील चेयर की उपलब्धता कराये जाने का सुझाव दिया गया।	
		• चिकित्सालय के मुख्य द्वार के पास हास्पिटल का ले आउट, सिटीजन चार्टर तथा विभिन्न विभागों की स्थिति का उल्लेख नहीं किया गया है।	• चिकित्सालय के मुख्य द्वार के पास हास्पिटल का ले आउट, सिटीजन चार्टर तथा विभिन्न विभागों की स्थिति का उल्लेख कराये जाने का सुझाव दिया गया।	
		• चिकित्सालय में लगाये गये विभिन्न साइनेजेज में से कई अनुपयोगी तथा भ्रम उत्पन्न करने वाले हैं तथा सीधे दीवारों पर लिखा गया है।	• चिकित्सालय में साइनेजेज प्रोटोकॉल के के अनुसार रंगीन पट्टिका पर बनवाये जायें तथा सुनियोजित ढंग से ऐसी जगह पर लगाये जायें जहॉ पर दृष्टता अधिकतम हो।	
		• कई जगह पोस्टर्स अनुपयोगी हैं तथा वो चिकित्सालय के एस्थेटिक्स को प्रभावित करते हैं।	• उपयुक्त स्थान पर प्रासंगिक पोस्टर्स लगाये जाने का सुझाव दिया गया।	
		• प्रयोगशाला में इन्टरनल व एक्सटर्नल क्वालिटी कन्ट्रोल नहीं किये जा रहे हैं। • इन्टरनल कन्ट्रोल चार्ट बनाया जा रहा है किन्तु उसका विश्लेषण नहीं हो रहा है और कापा नहीं हो रहा है।	• इन्टरनल व एक्सटर्नल क्वालिटी कन्ट्रोल चार्ट तैयार किया जाये तथा उनका विश्लेषण कर कापा तैयार किया जाये।	
		• एक्स–रे का ए.आर.वी. पंजीकरण नहीं है।	• एक्स–रे का ए.आर.वी. पंजीकरण कराये जाने का सुझाव दिया गया।	

		• ऑपरेशन थियेटर में स्टरलाइज सामान की ट्रेसबिलिटी सुनिश्चित नहीं हो पा रही है। • बायोमेडिकल वेस्ट का पृथककरण प्रोटोकॉल के अनुसार नहीं हो रहा है। • चिकित्सालय में हब कटर का उपयोग नहीं किया जा रहा है। • राज्य स्तर से उपलब्ध करायी गयी निर्धारित रोगी कल्याण समिति पंजिका उपलब्ध नहीं है। • रोगी कल्याण समिति के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019–20 में एक मात्र बैठक (शासी निकाय) का आयोजन किया गया है। इसके अतिरिक्त कार्यकारी समिति तथा अनुश्रवण समिति की एक भी बैठक का आयोजन नहीं किया गया है। • चिकित्सालय के प्रसव कक्ष एवं अन्य कार्यस्थलों पर ड्यूटी/शिफ्ट परिवर्तन के समय उपकरण, इमरजेन्सी औषधियॉ एवं मरीज इत्यादि का हैण्डओवर का विवरण तैयार नहीं किया जा रहा है। • प्रसव कक्ष में डिलीवरी ट्रे में मानकानुसार उपकरण नहीं पाये गये। • हाउस कीपिंग अनुबन्ध का समुचित अनुश्रवण नहीं हो पा रहा है।	• ऑपरेशन थियेटर में स्टरलाइजेशन पंजिका मानकानुसार बनाये जाने एवं उसमें स्टरलाइज सामान का बैच नं0 भी अंकित करने क का सुझाव दिया गया। • चिकित्सालय के समस्त स्टाफ को बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेण्ट विषय पर प्रशिक्षण प्रदान करने का सुझाव दिया गया। • राज्य स्तर से उपलब्ध करायी गयी निर्धारित रोगी कल्याण समिति पंजिका का उपयोग करने का सुझाव दिया गया। • रोगी कल्याण समिति के अन्तर्गत विभिन्न उप समितियों के सम्बन्ध में जानकारी प्रदान की गयी तथा बैठक का आयोजन निर्धारित अन्तराल के अनुसार कराये जाने का सुझाव दिया गया। • चिकित्सालय के प्रसव कक्ष एवं अन्य कार्यस्थलों पर ड्यूटी/शिफ्ट परिवर्तन के समय उपकरण, इमरजेन्सी औषधियॉ एवं मरीज इत्यादि के हैण्डओवर हेतु प्रारूप तैयार कर उसका अनुपालन किया जाये। • प्रसव कक्ष में डिलीवरी ट्रे. मानकानुसार तैयार की जायें। • चिकित्सालय द्वारा समस्त अनुबन्धों का अध्ययन किया जाये तथा नियम व शर्तों के अनुरूप सेवा प्रदाता से कार्य लिये जायें।	
2	100 बेड एम.सी.एच. विंग, सोनभद्र	• चिकित्सा इकाई तक पहुँचने हेतु साइनेजेज नहीं लगाये गये हैं। • चिकित्सा इकाई तक पहुँचने हेतु मार्ग प्रकाश की व्यवस्था नहीं है तथा रास्ता भी टूटा हुआ है। • चिकित्सा इकाई के बारे में समुदाय को जागरूकता नहीं है जिससे इकाई की क्षमता का समुचित उपयोग नहीं हो पा रहा है। • एस.एन.सी.यू. में बेड खाली पड़े हुये हैं तथा आउट बार्न एडमिशन कम पाये गये। • रेफरल इन तथा आउट के कारणों का उल्लेख नहीं किया जा रहा है। • सेकेन्डरी संदर्भन इकाई होने पर भी चिकित्सालय की संदर्भन दर अधिक है। • बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट और हाउस कीपिंग व्यवस्था में सुधार किये जाने की आवश्यकता है।	• चिकित्सा इकाई तक पहुँचने हेतु साइनेजेज लगवाये जाने का सुझाव दिया गया। • चिकित्सा इकाई तक पहुँचने हेतु मार्ग प्रकाश की व्यवस्था कराये जाने का सुझाव दिया गया। • चिकित्सा इकाई द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं के बारे में समुदाय में व्यापक प्रचार–प्रसार करने की आवश्यकता है। साथ ही स्वास्थ्य विभाग की प्रथम पंक्ति की कार्यकत्रियों को भी जागरूक किये जाने की आवश्यकता है। • रेफरल इन तथा आउट के कारणों का उल्लेख पूर्ण विवरण के साथ करने का सुझाव दिया गया। • रेफरल के कारणों का विश्लेषण कर, मानकानुसार चिकित्सालय में सेवायें प्रदान करने का सुझाव दिया गया। • बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट और हाउस कीपिंग व्यवस्था में सुधार किये जाने का सुझाव दिया गया।	मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/ मुख्य चिकित्सा अधिकारी/ जिला कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई/सेवा प्रदाता संस्था
3	ब्लॉक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, ककराही	• प्रभारी चिकित्सा अधिकारी तथा समस्त स्टाफ टीम भावना के साथ कार्य के प्रति समर्पित था। प्रभारी चिकित्सा अधिकारी एनेस्थेटिस्ट हैं। चिकित्सा इकाई पर स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ/ईमॉक प्रशिक्षित चिकित्सक की तैनाती नहीं है। • चिकित्सा इकाई में सफाई व्यवस्था अच्छी	• जनपद की आवश्यकतानुसार मानव संसाधन का रेशनल डेप्लायमेंट किये जाने का सुझाव दिया गया। • चिकित्सा इकाई में सफाई व्यवस्था को	प्रभारी चिकित्सा अधिकारी/ मुख्य चिकित्सा अधिकारी

		थी। • प्रसव कक्ष तथा अन्य कार्य स्थल सभी व्यवस्थित पाये गये। • राष्ट्रीय कार्यक्रमों के अभिलेखीकरण को सुदृढ़ करने तथा कार्मिकों को प्रशिक्षण प्रदान करने की आवश्यकता है। • चिकित्सा इकाई पर कार्यरत उपचारिकाओं को पीपीआईयूसीडी में प्रशिक्षण प्रदान किये जाने की आवश्यकता है। • पीपीआईयूसीडी सेवा प्रदाताओं को प्रोत्साहन धनराशि का भुगतान नहीं किया जा रहा है। • वर्तमान वित्तीय वर्ष में 273 जननी सुरक्षा योजना के लाभार्थियों का भुगतान लम्बित है। • ए.एन.सी. पंजिका पूर्ण रूप से भरी नहीं जा रही है। • जे.एस.एस.के. डाइट रजिस्टर में पूर्ण सूचनायें दर्ज नहीं की जा रही हैं। • विगत वर्ष का रोगी कल्याण समिति का ऑडिट नहीं कराया गया है। • रोगी कल्याण समिति के नवीनीकरण का प्रमाण–पत्र उपलब्ध नहीं कराया जा सका। • वित्तीय वर्ष 2019–20 में रोगी कल्याण समिति की शासी निकाय की दो बैठक के अलावा कोई बैठक नहीं आयोजित की गयी है। • रोगी कल्याण समिति के बैठक को निर्धारित पंजिका पर दर्ज नहीं किया गया है।	यथावत बनाये रखे जाने का सुझाव दिया गया। • राष्ट्रीय कार्यक्रमों के अभिलेखीकरण को सुदृढ़ करने तथा कार्मिकों को प्रशिक्षण प्रदान करने का सुझाव दिया गया। • डीएफपीएस से समन्वय स्थापित कर उपचारिकाओं को पीपीआईयूसीडी में प्रशिक्षण प्रदान किये जाने का सुझाव दिया गया तथा सेवा प्रदाताओं को प्रोत्साहन मासिक आधार पर जारी करने के निर्देश दिये गये। • जननी सुरक्षा योजना के समस्त लम्बित लाभार्थियों के भुगतान किये जाने का सुझाव दिया गया। • ए.एन.सी. पंजिका तथा जे.एस.एस.के. डाइट रजिस्टर को दिशा–निर्देशों के अनुसार पूर्ण करने का सुझाव दिया गया। • रोगी कल्याण समिति का ऑडिट कराये जाने का सुझाव दिया गया। • रोगी कल्याण समिति का नवीनीकरण एक अनिवार्य प्रक्रिया है। इसे समयानुसार कराये जाने का सुझाव दिया गया। • रोगी कल्याण समिति की बैठकें समयानुसार आयोजित किये जाने का सुझाव दिया गया। • रोगी कल्याण समिति की बैठक के कार्यवृत को निर्धारित पंजिका पर दर्ज करने का सुझाव दिया गया।	
4	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, करमा (एच.डब्ल्यू. सी.)	• चिकित्सा इकाई की औसत ओ.पी.डी. लगभग 30–35 प्रतिदिन है। • प्रसव भार औसत लगभग 25–30 प्रतिमाह है। • प्रसव कक्ष में आवश्यक प्रसव ट्रे मानकानुसार नहीं पायी गयी। • प्रसव कक्ष में कैलिसपैड पंचर है। • प्रसव कक्ष में प्रोटोकॉल पोस्टर नहीं लगाये गये है। • प्रसव कक्ष में हैण्ड वासिंग की सुविधा नहीं है। • बायोमेडिकल वेस्ट का निस्तारण समुचित रूप से नहीं किया जा रहा है। • प्रसव कक्ष में न्यू बार्न केयर कार्नर अव्यवस्थित रूप में पाया गया। • प्रसव कक्ष में ऑक्सीजन सिलेण्डर खाली पाया गया। • हेल्थ एण्ड वेलनेस सेण्टर के रूप में चिन्हित इकाई के रूप में तैयारी नहीं की गयी है और न ही एन.सी.डी. अभियान की समुचित जानकारी है। • सीबैक फार्म को भरा गया है किन्तु उनको सम्बन्धित पोर्टल पर अंकन नहीं किया गया है।	• प्रसव कक्ष में आवश्यक प्रसव ट्रे मानकानुसार बनाये जाने का सुझाव दिया गया। • प्रसव कक्ष हेतु आवश्यक लॉजिस्टिक्स और औषधियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने का सुझाव दिया गया। • बायोमेडिकल वेस्ट के समुचित निस्तारण का सुझाव दिया गया। • प्रसव कक्ष में न्यू बार्न केयर कार्नर को सुसज्जित करने का सुझाव दिया गया। • प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तरीय हेल्थ एण्ड वेलनेस सेण्टर हेतु आवश्यक लॉजिस्टिक्स उपलब्ध कराये जाने का सुझाव दिया गया। • एन.सी.डी. अभियान हेतु जागरूकता कर लक्ष्य प्राप्त करने का सुझाव दिया गया तथा दैनिक रिपोर्ट व मासिक रिपोर्ट को सम्बन्धित पोर्टल पर समयानुसार अपलोड करने का सुझाव दिया गया।	प्रभारी चिकित्सा अधिकारी / जनपद स्तर

5	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, घोरावल	• चिकित्सा इकाई की स्थिति बहुत चिन्ताजनक थी सर्वत्र गंदगी व्याप्त थी तथा रख–रखाव बहुत ही खराब था। • चिकित्सालय के परिसर से आम रास्ता बना हुआ था जिसमें भेड़ों के समूह आ–जा रहे थे। • चिकित्सालय भवन के पास ही खुले में शौच की गयी थी। • 50 शैय्या एम.सी.एच. विंग के भवन का उपयोग नक्से के अनुरूप नहीं किया जा रहा था जिससे भविष्य में चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण में बाधा उत्पन्न होने की आशंका है। • भवन डेढ़ वर्ष पूर्व हस्तगत हुआ था परन्तु उसमें ड्रेनेज चोक है तथा लिफ्ट का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है। • चिकित्सालय परिसर में आई.ई.सी. का अभाव पाया गया। • प्रसव कक्ष में एल्बो टैब के स्थान पर साधारण टोटी/नल लगा हुआ है। • प्रसव कक्ष में आवश्यक प्रसव ट्रे मानकानुसार नहीं पायी गयी। • प्रसव कक्ष में कैलिसपैड पंचर है। • प्रसव कक्ष में प्रोटोकॉल पोस्टर नहीं लगाये गये है। • प्रसव कक्ष में हैण्ड वासिंग की सुविधा नहीं है। • बायोमेडिकल वेस्ट का निस्तारण समुचित रूप से नहीं किया जा रहा है। • एम.सी.एच. विंग में निर्बाध विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था नहीं की गयी थी। • एम.सी.एच. विंग में ऑपरेशन थियेटर इत्यादि बन गया है किन्तु उसका उपयोग नहीं किया जा रहा है। • चिकित्सालय के अधिकारियों व कर्मचारियों में जिम्मेदारी की भावना का अभाव है। • चिकित्सालय का ओपेन एरिया अव्यवस्थित व गन्दा था। • चिकित्सालय में 102 एम्बुलेंस खराब थी जिसके स्थान पर एक एएलएस एम्बुलेंस का उपयोग हो रहा था। एम्बुलेंस संख्या–यूपी–41 जी 3349 चिकित्सालय परिसर में थी जिसमें एसी, सक्शन मशीन एवं ऑक्सीजन सिलेण्डर क्रियाशील नहीं था। वाहन के ईएमटी द्वारा बहुत मुश्किल के बाद, काफी समय बाद औषधियों का डिब्बा दिखा सका। इससे प्रतीत होता है कि परिवहन के दौरान मरीजों को कोई भी औषधि प्रदान नहीं की जाती है। वाहन के ईएमटी को स्पाइन बोर्ड की उपयोगिता की जानकारी नहीं है। • पी.एन.सी. वार्ड में भर्ती प्रसूताओं से एम्बुलेंस सेवा प्रदान किये जाने के एवज में एम्बुलेंस ड्राईवरों द्वारा अवैध धन वसूली की जा रही है। • चिकित्सालय में स्टोर के अन्दर दवायें व रियजेन्ट अव्यवस्थित रूप से पाये गये।	• चिकित्सा इकाई की स्थिति बहुत चिन्ताजनक थी सर्वत्र गंदगी व्याप्त थी तथा रख–रखाव बहुत ही खराब था। • चिकित्सालय के परिसर से आम रास्ता बना हुआ था जिसमें भेड़ों के समूह आ–जा रहे थे। • चिकित्सालय भवन के पास ही खुले में शौच की गयी थी। • 50 शैय्या एम.सी.एच. विंग के भवन का उपयोग नक्से के अनुरूप नहीं किया जा रहा था जिससे भविष्य में चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण में बाधा उत्पन्न होने की आशंका है। • भवन डेढ़ वर्ष पूर्व हस्तगत हुआ था परन्तु उसमें ड्रेनेज चोक है तथा लिफ्ट का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है। • चिकित्सालय परिसर में आई.ई.सी. का अभाव पाया गया। • प्रसव कक्ष में एल्बो टैब के स्थान पर साधारण टोटी/नल लगा हुआ है। • प्रसव कक्ष में आवश्यक प्रसव ट्रे मानकानुसार नहीं पायी गयी। • प्रसव कक्ष में कैलिसपैड पंचर है। • प्रसव कक्ष में प्रोटोकॉल पोस्टर नहीं लगाये गये है। • प्रसव कक्ष में हैण्ड वासिंग की सुविधा नहीं है। • बायोमेडिकल वेस्ट का निस्तारण समुचित रूप से नहीं किया जा रहा है। • एम.सी.एच. विंग में निर्बाध विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था नहीं की गयी थी। • एम.सी.एच. विंग में ऑपरेशन थियेटर इत्यादि बन गया है किन्तु उसका उपयोग नहीं किया जा रहा है। • चिकित्सालय के अधिकारियों व कर्मचारियों में जिम्मेदारी की भावना का अभाव है। • चिकित्सालय का ओपेन एरिया अव्यवस्थित व गन्दा था। • चिकित्सालय में 102 एम्बुलेंस खराब थी जिसके स्थान पर एक एएलएस एम्बुलेंस का उपयोग हो रहा था। एम्बुलेंस संख्या–यूपी–41 जी 3349 चिकित्सालय परिसर में थी जिसमें एसी, सक्शन मशीन एवं ऑक्सीजन सिलेण्डर क्रियाशील नहीं था। वाहन के ईएमटी द्वारा बहुत मुश्किल के बाद, काफी समय बाद औषधियों का डिब्बा दिखा सका। इससे प्रतीत होता है कि परिवहन के दौरान मरीजों को कोई भी औषधि प्रदान नहीं की जाती है। वाहन के ईएमटी को स्पाइन बोर्ड की उपयोगिता की जानकारी नहीं है। • पी.एन.सी. वार्ड में भर्ती प्रसूताओं से एम्बुलेंस सेवा प्रदान किये जाने के एवज में एम्बुलेंस ड्राईवरों द्वारा अवैध धन वसूली की जा रही है।	चिकित्सा अधीक्षक/ जनपद स्तर

			• चिकित्सालय में स्टोर के अन्दर दवायें व रियजेन्ट अव्यवस्थित रूप से पाये गये।	
6	उपकेन्द्र खरूवांव, विकास खण्ड–घोरावल (एल–1)	• आगामी वित्तीय वर्ष हेतु उपकेन्द्र को एच. डब्ल्यू.सी. के रूप में चिन्हित किया गया है। • प्रसव कक्ष में साफ–सफाई का अभाव पाया गया। • प्रसव कक्ष की स्थिति संतोषजनक नहीं थी। (लेबर टेबल, रनिंग वाटर, खिड़की, इमरजेन्सी ट्रे, सक्शन मशीन, नवजात शिशु वेइंग मशीन, एम्बु बैग, बीपी मशीन, प्रकाश व्यवस्था) • बायोमेडिकल वेस्ट हेतु डीप बरियल पिट बनाया गया है, बायोमेडिकल वेस्ट का पृथककरण नहीं किया जा रहा है। • माह दिसम्बर, 2019 तक कुल 110 प्रसव कराये जा चुके हैं। • उपकेन्द्र हेतु साइनेज नहीं लगाया गया है।	• प्रसव कक्ष में साफ–सफाई बनाये रखने का सुझाव दिया गया। • प्रसव भार देखते हुये जनपद में कार्यरत नर्स मेण्टर के सहयोग से प्रसव कक्ष की स्थिति को सुदृढ़ कराये जाने का सुझाव दिया गया। • बायोमेडिकल वेस्ट के पृथककरण का सुझाव दिया गया। • उपकेन्द्र हेतु साइनेज लगवाने का सुझाव दिया गया।	ए.एन.एम. / प्रभारी चिकित्सा अधिकारी / चिकित्सा अधीक्षक / जनपद स्तर
7	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, नगवॉ	• चिकित्सालय की स्थिति (रख–रखाव) बहुत ही खराब थी। • भ्रमण दिवस में चिकित्सा इकाई पर परिवार नियोजन का कैम्प आयोजित किया गया था। वार्ड के बेड पर फटे हुये गद्दे पड़े थे तथा मरीज / लाभार्थी बिना बेड शीट के फटे हुये गद्दों पर लेटे हुये थे। • चिकित्सालय का ऑपरेशन थियेटर अत्यन्त अस्त–व्यस्त पाया गया। • प्रभारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि कोल्ड चेन हैण्डलर का स्थानान्तरण कर दिया गया है। उपकेन्द्र स्तर पर तैनात सी.एच.ओ. को कोल्ड चेन का कार्य दिया गया है जिसमें कोल्ड चेन से सम्बन्धित प्रशिक्षण का अभाव है। • चिकित्सालय के प्रांगण एवं वार्ड में समुचित प्रकाश का अभाव है। • प्रसव कक्ष में सफाई का अभाव था तथा साथ में सम्बद्ध कक्ष में निष्प्रयोज्य सामान भरा गया है। • प्रसव कक्ष में प्रोटोकॉल पोस्टर्स नहीं थे और न ही आवश्यक ट्रे बनायी गयी थी। • चिकित्सालय के कॉरिडोर में जीने के नीचे निष्प्रयोज्य सामान रखा हुआ है तथा उसी में स्टरलाइज्ड ग्लब्स की बोरियॉ रखी गयी हैं। • चिकित्सालय में एल्बो टैब, वाटर कनेक्शन तथा ड्रेन पाइप इत्यादि का आवश्यक स्थलों पर अभाव है। चिकित्सालय के ड्रेन्स खुले थे और उसमें पानी भरा हुआ था। • इमरजेन्सी में ऑक्सीजन सिलेण्डर खाली पाया गया। • अग्नि शमन यंत्र कब भरा गया है किसी भी कार्मिक को कोई जानकारी नहीं है। • चिकित्सालय के अधिकांश शौचालय चोक हैं। • चिकित्सालय भवन में जगह–जगह धूल पायी गयी तथा जाले लगे हुये हैं। • रोगी कल्याण समिति पंजिका अवलोकन हेतु उपलब्ध नहीं करायी जा सकी।	• चिकित्सालय की स्थिति (रख–रखाव) में सुधार करने का सुझाव दिया गया। • ऑपरेशन थियेटर में बायोमेडिकल वेस्ट का पृथककरण प्रयोग स्थल पर ही करने का सुझाव दिया गया। • समुचित स्टाफ को कोल्ड चेन से सम्बन्धित प्रशिक्षण प्रदान करने के उपरान्त कार्यभार प्रदान किया जाये। • चिकित्सालय में समुचित प्रकाश व्यवस्था कराये जाने का सुझाव दिया गया। • प्रसव कक्ष को एमएनएच टूल किट के मानकों के अनुरूप बनाये जाने का सुझाव दिया गया। • औषधियों एवं कन्ज्यूमेबिल्स को समुचित रूप से भण्डारण किये जाने तथा निष्प्रयोज्य सामान को राजकीय नियमों के अनुरूप अग्रिम कार्यवाही करने का सुझाव दिया गया। • चिकित्सालय हेतु आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता कराये जाने का सुझाव दिया गया। • चिकित्सालय भवन की सफाई व्यवस्था हेतु सुझाव दिया गया।	चिकित्सा अधीक्षक / जनपद स्तर

		• बायोमेडिकल वेस्ट के निस्तारण हेतु कोई व्यवस्था नहीं थी।		
8	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, दुद्धी	• चिकित्सालय में प्रसूति एवं स्त्री रोग ओ.पी.डी. तथा ए.एन.सी. क्लीनिक अलग–अलग स्थानों पर चलाये जा रहे हैं। लेबर रूम के पास ग्राउन्ड फ्लोर पर पुरूष वार्ड बनाया गया है जबकि पी.एन.सी. वार्ड प्रथम तल पर बनाया गया है। • चिकित्सालय में ए.एफ.एच.एस. क्लीनिक की स्थापना की गयी है। कार्यरत काउन्सलर को सैनीटरी पैड उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं तथा कम्प्यूटर खराब है। • चिकित्सालय की कॉरिडोर में औषधियॉ इधर–उधर रखी गयीं हैं। • नयी डेंटल चेयर आ जाने से पुरानी डेंटल चेयर को गैलरी में डाल दिया गया है। • आशा भुगतान माह दिसम्बर, 2019 तक किया गया है। • आशा भुगतान वाउचर पर ब्लॉक लेखा प्रबन्धक तथा चिकित्सा अधीक्षक का हस्ताक्षर नहीं कराया गया है। • ब्लड बैंक में आवश्यक लॉजिस्टिक्स उपलब्ध है किन्तु मानव संसाधन (एल.टी.) उपलब्ध न होने के कारण क्रियाशील नहीं हो सकी है। • चिकित्सालय के वार्ड में उपलब्ध गद्दों की स्थिति दयनीय है। • प्रसव कक्ष में आवश्यक डिलीवरी ट्रे में मानकानुसार उपकरण नहीं पाये गये। • चिकित्सालय में स्थापित किया गया पोषण पुनर्वास केन्द्र (एन.आर.सी.) अक्रियाशील है। • पी.पी.आई.यू.सी.डी. सेवाप्रदाताओं को प्रोत्साहन धनराशि का भुगतान नहीं किया जा रहा है। • जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत लम्बित लाभार्थियों के भुगतान किया जाने हेतु कोई कार्य योजना/रणनीति नहीं तैयार की गयी है। • रोगी कल्याण समिति की बैठक समय पर नहीं हो रही है। • चिकित्सालय परिसर में मवेशी घूम रहे हैं।	• प्रसूति एवं स्त्री रोग ओ.पी.डी.तथा ए.एन.सी. क्लीनिक साथ में ही स्थापित किये जायें। लेबर रूम के पास ग्राउन्ड फ्लोर पर पुरूष वार्ड की जगह पी.एन.सी. वार्ड बनाया जाने का सुझाव दिया गया। • ए.एफ.एच.एस. क्लीनिक हेतु आवश्यक लॉजिस्टिक्स की उपलब्धता तथा क्रियाशीलता कराये जाने का सुझाव दिया गया। • औषधियों को नियमानुसार भण्डारण में रखने का सुझाव दिया गया। • पुराने सामान को राजकीय नियमों के अनुरूप अग्रिम कार्यवाही करने का सुझाव दिया गया। • आशा भुगतान को समयानुसार किये जाने का सुझाव दिया गया। • आशा भुगतान वाउचर पर समस्त सम्बन्धित के हस्ताक्षर कराये जाने का सुझाव दिया गया। • जनपद स्तर से समन्वय स्थापित कर ब्लड बैंक को क्रियाशील करने का सुझाव दिया गया। • चिकित्सालय हेतु आवश्यक लॉजिस्टिक्स की व्यवस्था करने का सुझाव दिया गया। • प्रसव कक्ष को नर्स मेण्टर के सहयोग से सुव्यवस्थित कराये जाने का सुझाव दिया गया। • पोषण पुनर्वास केन्द्र (एन.आर.सी.) को क्रियाशील कराने हेतु पत्राचार करने का सुझाव दिया गया। • पी.पी.आई.यू.सी.डी. सेवाप्रदाताओं को मासिक आधार पर प्रोत्साहन धनराशि का भुगतान किये जाने का सुझाव दिया गया। • जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत लम्बित लाभार्थियों के भुगतान हेतु कार्य योजना/रणनीति तैयार कर अग्रिम कार्यवाही का सुझाव दिया गया। • रोगी कल्याण समिति की बैठक नियत अन्तराल पर कराये जाने का सुझाव दिया गया। • चिकित्सालय की चाहरदीवरी को सही कराये जाने का सुझाव दिया गया।	चिकित्सा अधीक्षक/ जनपद स्तर
9	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, चोपण	• चिकित्सालय का प्रसव कक्ष साफ–सुथरा व व्यवस्थित अवस्था में था जबकि नर्स मेण्टर का पद रिक्त है। • पी.एन.सी. वार्ड का भ्रमण करने से ज्ञात हुआ कि 4 से 5 बच्चे पहले से हैं और वह पुनः प्रसूता के रूप में है। इससे प्रतीत होता है कि परिवार कल्याण सम्बन्धी गतिविधियों में उदासीनता की जा रही है। • काउन्सलर द्वारा पी.एन.सी. वार्ड का भ्रमण नहीं किया जा रहा है और न ही काउन्सिलिंग का कार्य किया जा रहा है।	• प्रसव कक्ष को यथावत बनाये रखने का सुझाव दिया गया। • पी.एन.सी. वार्ड में प्रतिदिन परिवार कल्याण के सम्बन्ध में काउन्सिलिंग कराये जाने का सुझाव दिया गया।	चिकित्सा अधीक्षक/ जनपद स्तर

		• चिकित्सालय की कॉरिडोर साफ–सुथरी थी। • आशा भुगतान वाउचर का अवलोकन करने ज्ञात हुआ कि वाउचर के साथ अतिरिक्त कागजात नत्थी कराये जा रहे हैं। • रोगी कल्याण समिति से सम्बन्धित अभिलेखों का अवलोकन नहीं किया जा सका। • चिकित्सा अधीक्षक द्वारा अवगत कराया गया कि रोगी कल्याण समिति मद में द्वितीय किश्त जनपद स्तर से जारी नहीं की गयी है। • एक्स–रे विभाग का ए.आर.ई.बी. पंजीकरण नहीं कराया गया है। • ए.एल.डी. बैच उपलब्ध नहीं है। • प्रयोगशाला के बाहर प्रदान की जाने वाली सेवायें/जॉचों की सूची का उल्लेख नहीं किया गया है। • चिकित्सा इकाई में डी.जी.ओ. उपलब्ध है किन्तु निश्चेतक उपलब्ध न होने के कारण एफ.आर.यू. क्रियाशील नहीं है।	• आशा भुगतान वाउचर का अवलोकन करने ज्ञात हुआ कि वाउचर के साथ अतिरिक्त कागजात नत्थी कराये जा रहे हैं। • रोगी कल्याण समिति से सम्बन्धित अभिलेखों का अवलोकन नहीं किया जा सका। • चिकित्सा अधीक्षक द्वारा अवगत कराया गया कि रोगी कल्याण समिति मद में द्वितीय किश्त जनपद स्तर से जारी नहीं की गयी है। • एक्स–रे विभाग का ए.आर.ई.बी. पंजीकरण कराये जाने का सुझाव दिया गया। • ए.एल.डी. बैच की उपलब्धता का सुझाव दिया गया। • प्रयोगशाला के बाहर प्रदान की जाने वाली सेवायें/जॉचों की सूची का उल्लेख करने का सुझाव दिया गया। • जनपद स्तर से समन्वय स्थापित कर एफ.आर.यू. को क्रियाशील करने का सुझाव दिया गया।	
10	नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, तरकापुर	• नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के स्टोर के रैक जीर्ण अवस्था में है। • प्रयोगशाला के बाहर प्रदान की जाने वाली सेवायें/जॉचों की सूची का उल्लेख नहीं किया गया है। • शिकायत निवारण सिस्टम नहीं बनाया गया है। • प्रसव–कक्ष क्रियाशील नहीं है।	• नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के स्टोर के रैक जीर्ण अवस्था में है। • प्रयोगशाला के बाहर प्रदान की जाने वाली सेवायें/जॉचों की सूची का उल्लेख नहीं किया गया है। • शिकायत निवारण सिस्टम नहीं बनाया गया है। • प्रसव–कक्ष क्रियाशील नहीं है।	प्रभारी चिकित्सा अधिकारी/ जनपद स्तर

मण्डलीय स्तरीय समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त संलग्न।

Rajkishor Tripathi

31/01/2020

(अश्वनी कुमार)
परामर्शदाता (एम.एच.)
एन.एच.एम., लखनऊ

(डा0 राज किशोर त्रिपाठी)
प्रशिक्षण एवं अनुश्रवण अधिकारी
एन.एच.एम., लखनऊ

(डा0 अशोक कुमार पालीवाल)
राज्य कार्यक्रम प्रबन्धक
एन.एच.एम., लखनऊ

भ्रमण आख्या जनपद–मिर्जापुर एवं संतरविदास नगर

अपर मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 के पत्र संख्या–SPMU/NHM/Visit/2019-20/32A/8690-3 दिनांक 16.01.2020 के अनुपालनार्थ दिनांक 20–24 जनवरी, 2020 को भ्रमण दल द्वारा जनपद संतरविदास नगर एवं मिर्जापुर का सहयोगात्मक पर्यवेक्षण निम्नलिखित भ्रमण दल के सदस्यों द्वारा किया गया–

1. डा0 अनामिका मिश्रा, महाप्रबन्धक, एम0एण्डई0, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0।
2. श्री अभय द्विवेदी, तक0 परामर्शदाता, एन0पी0सी0बी0एण्डवी0आई0, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0।
3. श्री विनोद कुमार द्वितीय, वित्त प्रबन्धक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0।
4. श्री पी0 एच0 कुशवाहा, समन्वयक, आर0बी0एस0के0, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0।

सहयोगात्मक पर्यवेक्षण की गयी इकाईयॉ :–

1. जिला महिला चिकित्सालय, मिर्जापुर।
2. 100 बेड एम. सी. एच. विंग, मिर्जापुर।
3. समुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, चुनार, मिर्जापुर।
4. नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नेवढ़ियाघाट, मिर्जापुर।
5. नेवढ़ियाघाट, एच.डब्ल्यू.सी., मिर्जापुर।
6. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, गुरसेन्डी, मिर्जापुर।
7. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, गोपीगंज, संतरविदास नगर।

जनपद की सहयोगात्मक पर्यवेक्षण की विस्तृत आख्या निम्नवत् है :–

मातृ स्वास्थ्य–

- सी0एच0सी0 गोपीगंज, संतरविदास नगर एवं सी0एच0सी0, चुनार, मिर्जापुर प्रसव पंजिकाओं में इकाईयों द्वारा सम्पूर्ण आंकड़े अंकित नहीं किये जा रहे हैं एवं पाटोग्राफ नहीं भरा जा रहा है।
- सी0एच0सी0, चुनार, मिर्जापुर प्रसव कक्ष डिजिटल वॉच, कैलिस पैड, अक्रियाशील पाये गये एवं स्वास्थ्य इकाईयों पर एक्सपायरी डेट की औषधियॉ पायी गयी।
- जिला महिला चिकित्सालय, मिर्जापुर को छोड़कर भ्रमण की शेष अन्य स्वास्थ्य इकाईयों पर बायोमेडिकल वेस्ट में मानकों के अनुसार पृथककरण वेस्ट प्रबंधन नहीं किया जा रहा है।
- जिला महिला चिकित्सालय मिर्जापुर में 7 लाभार्थियों के सत्यापन में रु0 700 से रु0 1500 तक की धनराशि लिये जाने की पुष्टि की गयी।
- जे0एस0वाई0 लाभार्थियों व जनपद मिर्जापुर एव संत रविदास नगर में आशा का भुगतान लंबित है।
- न्यूबार्न बेबी कार्नर मानकों के विपरित 100 वाट का बल्ब लगाकर सी.एच.सी. गोपीगंज जनपद संत रविदास नगर में पाया गया।
- जनपद मिर्जापुर एवं संतरविदास नगर में केन्द्रियकृत रुप से जनपद मुख्यालय द्वारा जे.एस.एस.के. /आर.बी.एस.के वाहन/सपोर्टिव सुपरविजन वाहन का भुगतान किया जा रहा है।
- सी0एच0सी0, गोपीगंज, संतरविदास नगर पर निर्धारित मुद्रित पंजिका प्रारुप के स्थान पर अन्यत्र सामान्य रजिस्टर पर सूचनायें अंकित की जा रही है।

एम.सी.एच. विंग–

- जनपद मिर्जापुर में एम.सी.एच. विंग में निरीक्षण के दौरान साफ–सफाई, प्रसूता भोजन, बी.एम.डब्ल्यू. व्यवस्था एवं चिकित्सक/पैरामेडिकल स्टॉफ एम.ओ.यू. के अनुसार नहीं पाया गया।
- राज्य स्तरीय सहयोगात्मक टीम द्वारा माह अप्रैल 2019 से माह दिसम्बर 2019 तक जिला महिला चिकित्सालय एवं एम.सी.एच. विंग में कुल हुए प्रसवों के तुलनात्मक विवरण के अनुरुप एम.सी.एच. विंग मिर्जापुर में सम्पादित प्रति प्रसव व्यय 18 प्रतिशत से ज्यादा व्यय पड़ रहा है एवं जनपद मिर्जापुर में न्यूनतम रिसोर्स व पुराने भवन में जिला महिला चिकित्सालय के द्वारा गुणवत्ता प्रसव सम्पादित किये जा रहे हैं।

- उक्त स्थिति के अनुरुप पी.पी.ए. मॉडल की एम.सी.एच. विंग का संघन एवं पृथक रुप से तुलनात्मक मूल्यांकन किया जाना अपेक्षित है जिससे प्रदेश में प्रभावी एम.सी.एच. विंग स्वास्थ्य सेवा संचालित की जा सकती है।

रोगी कल्याण समिति–

- जनपद मिर्जापुर एवं संतरविदास नगर में राज्य स्तर से निर्गत दिशा निर्देशों में निहित निर्धारित रोगी कल्याण पंजिका पर कार्यवृत्त अंकित नहीं की जा रही है एवं आर.के.एस. का आडिट लंबित है।

- जनपद मिर्जापुर रोगी कल्याण समिति मद में वित्तीय वर्ष 2019–20 की द्वितीय किश्त का आंवटन नहीं किया गया है।
- जनपद मिर्जापुर एवं संतरविदास नगर में संबंधित स्वास्थ्य इकाईयों के रोगी कल्याण समिति के लंबित वार्षिक आडिट के संदर्भ में निर्देश दिये गये कि तीनों जनपदों के जिला लेखा प्रबंधक द्वारा एक माह के भीतर लंबित रोगी कल्याण समिति आडिट, निर्धारित व्यय आडिट शुल्क सीमा के भीतर सम्पादित किया जायेगा।

परिवार नियोजन–

- लगभग 4 माह से जनपद मिर्जापुर में परिवार नियोजन हेतु अंतरा की उपलब्धता नहीं है।
- जनपद मिर्जापुर में सम्बन्धित भ्रमण स्वास्थ्य इकाईयों पर एवं दिनांक 24 जनवरी 2020 को समीक्षा बैठक में परिवार नियोजन कार्यक्रमों के अन्तर्गत मिशन परिवार विकास के अन्तर्गत सारथी, नयी पहल किट सास बहु सम्मेलन, नवीन इन्सेनटीव, एफ0डी0एस0, पी0पी0आईयू0 सी0 डी0, परिवार नियोजन परफामेन्स एवार्ड, कंडोम बॉक्स, ओरल पिल, अनतर छाया आदि विषयों पर जनपद की स्थिति से अवगत कराते हुये राज्य द्वारा प्रदत्त दिशा–निर्देशों को उपलब्ध कराया गया एवं क्षमता वर्धन किया गया।
- कार्यक्रम के प्रभाव संचालन हेतु स्टाफ नर्स को पी.पी.आई.यू.सी.डी. निवेशन हेतु प्रोत्साहन धनराशि प्रदान नहीं की जा रही है।
- जनपद मिर्जापुर एवं संतरविदास नगर में परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत पैरामेडिकल स्टॉफ को निरन्तर राज्य स्तर से सहयोगात्मक पर्यवेक्षण में अभिमुखीकरण किये जाने उपरान्त भी पृथक रुप से परिवार नियोजन कार्यक्रमों पर क्षमताबर्धन हेतु प्रशिक्षण प्रदान किये जाने की अति आवश्यकता है।

एन.सी.डी.–

- जनपद मिर्जापुर में एन.सी.डी. अभियान की तैयारी समुचित रुप से नहीं की गयी है एवं दैनिक स्क्रीनिंग सूचना सुचारू रुप से अंकित नहीं की जा रही है।
- एन.सी.डी. अभियान के क्रम में राज्य मुख्यालय से प्रेषित दिशा निर्देश पर दिनांक 24 जनवरी 2020 को आयोजित समीक्षा बैठक में समस्त जनपदों का अभिमुखिकरण किया गया एवं जनपद वार एन.सी. डी. अभियान की वस्तु स्थिति से अवगत कराते हुए संबंधित जनपद को कार्य योजना बनाकर अपेक्षित कार्यो को निष्पादित किये जाने हेतु निर्देश दिये गये।
- राज्य कार्यक्रम प्रबंधक एन.एच.एम. उ0प्र0 द्वारा निर्देश दिये गये कि एन.एम.एच.पी., एन.पी.सी.डी.सी.एस एवं एन.टी.सी.पी. जनपद स्तरीय दल द्वारा प्रत्येक माह में आयोजित होने वाली जिला स्वास्थ्य समिति की बैठकों में पृथक रुप से निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष अर्जित उपलब्धियों को प्रदर्शित किया जायेगा।
- एन.पी.सी.डी.सी.एस., एन.एम.एच.पी. एवं एन.टी.सी.पी. कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद स्तर पर तैनात संविदा कर्मियों एवं डी.पी.एम.यू. के मध्य समन्वय न होने के कारण राज्य द्वारा प्रेषित दिशा निर्देशों के कियान्वयन एवं जानकारी प्रभावित हो रही है।

एम्बुलेंस सेवा–

- जनपद मिर्जापुर एवं संतरविदास नगर में एम्बुलेस सेवा में निम्नलिखित स्थिति पायी गयी–
- पायलट द्वारा लागबुक मानकों के अनुसार नहीं भरी जा रही है।
- सी.एच.सी. घोरावल, जनपद सोनभद्र में लाभार्थियों से धनराशि वसूली जा रही है।
- वाहन में मानको के अनुसार एम.ओ.यू. में अंकित लॉजिस्टिक नहीं पायी गयी।
- प्रमुख सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण महोदय द्वारा जारी पत्र दिनांक 08.10.2018 में जारी निर्देशों के क्रम में प्रतिमाह एम्बुलेंस संबंधित चिकित्सक अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नोडल

एम्बुलेन्स एवं ई.एम.टी.एस. द्वारा रेण्डम एम्बुलेन्स चेक लिस्ट भरकर प्राप्त सूचना जनपद मुख्यालय को प्रेषित किया जाना है जिसे प्रभावी रुप से नहीं किया जा रहा है।

- दिनांक 24.06.2017 को राज्य द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुरुप एम्बुलेन्स सेवा लाभार्थी से पैरामेडिकल द्वारा भरी जाने वाली चेकलिस्ट नहीं भरी जा रही है जिससे एम्बुलेन्स की गुणवत्ता सेवा प्रभावित हो रही है।

औषधि भण्डार एवं वितरण प्रबंधन–

- जनपद संतरविदास नगर एवं मिर्जापुर में यू.पी.एम.एस.सी. द्वारा औषधियों की उपलब्धता एवं मात्रा इन्डेन्ट के अनुसार नहीं की जा रही है एवं सी.एच.सी. गोपीगंज जनपद संत रविदास नगर के अधीक्षक द्वारा अवगत कराया गया कि यू.पी.एम.एस.सी. द्वारा उपलब्ध करायी औषधियों में उपयोगी औषधियों के स्थान पर मानसिक रोगियों की औषधियों की आपूर्ति की जा रही हैं।
- सी.एच.सी. गोपीगंज जपनद संत रविदास नगर के अधीक्षक द्वारा अवगत कराया गया कि यू.पी.एम.एस. सी. द्वारा उपलब्ध करायी जा रही है औषधियों में लगभग 70 प्रतिशत मानसिक स्वास्थ्य की औषधियों उपलब्ध करायी गयी है जिसकी उपयोगिता नहीं है।
- राज्य स्तरीय टीम द्वारा भण्डार कक्ष में औषधियों को First Expiry First Display Last Expiry and Back Display Management पर अभिमुखिकरण किया गया एवं समस्त भण्डार कक्ष से संबंधित पंजिकाओं को अपेक्षित अद्युनान्त किये जाने पर निर्देश दिये गये।
- नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर औषधि भण्डार एवं वितरण आदि मानकों के अनुरुप व्यवस्थित नहीं पा रहा है।

आर.बी.एस.के.–

- मोबाइल हेल्थ टीम के पास राज्य द्वारा प्रेषित ई.डी.एल. के पूर्ण औषधियां नहीं पायी गयी। प्रति ब्लाक मेडिसिन मद में रु0 5000/ प्रति टीम की दर से दो टीमों हेतु आवंटित धनराशि का व्यय शून्य है।
- मोबाइल हेल्थ टीम को उपलब्ध कराये गये लैपटॉप में इन्टरनेट सेवा हेतु डाटा कार्ड को रिचार्ज नहीं कराया जा रहा है।
- क्लबफुट के संदर्भित बच्चों का जिला स्तर पर जिला चिकित्सालय द्वारा जिपसोना सामग्री अभाव बताकर उपचार नहीं प्रदान किया जा रहा है।
- तीन ब्लाक पड़री, चिल, एवं विजयपुर में मोबाइल हेल्थ टीम का लैपटॉप खराब हो गया है जिसके लिए सुझाव दिया गया कि राज्य स्तर से प्रेषित दिशा निर्देशानुसार ब्लाक स्तर पर आर.के.एस. मद में उपलब्ध धनराशि से लैपटॉप का मरम्मत कराया जा सकता है।
- मण्डल मिर्जापुर में विद्यालय एवं आंगनवाड़ी केन्द्रों में पंजिकृत छात्र–छात्राओं के सापेक्ष टीम द्वारा निर्धारित स्क्रीनिंग दिवस पर बच्चों की उपस्थिति 35–40 प्रतिशत पायी जा रही है।

आई.ई.सी.–

- स्वास्थ्य इकाईयों पर प्रदर्शित विभिन्न साइनेजेज अनुपयोगी एव भ्रम उत्पन्न करने वाले है क्योंकि प्रदर्शित आई.ई.सी. प्रदान की जाने वाली सेवा स्थल से अन्यत्र स्थानों पर प्रदर्शित की गयी है।
- ए.एन.सी. एवं पी.एन.सी. से संबंधित अपेक्षित आई.ई.सी. वार्ड प्रदर्शित नहीं पायी गयी।
- संबंधित इकाईयों पर आई.ई.सी. का अभाव पाया गया एवं जिला व राज्य मुख्यालय से प्रदान की गयी आई.ई.सी. समाग्री भण्डार कक्ष में रक्षित है जिसे भण्डार कक्ष से निकलवाकर प्रदर्शित करवाया गया।
- राज्य द्वारा प्रतिवर्ष राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में विभिन्न कार्यक्रमों में मानको के अनुरुप आई.ई.सी. किया जाना निर्धारित है। अतः कार्यक्रम के प्रभावी गुणवत्ता के लिए समेकित रुप से मानको के अनुरुप मुद्रण कराकर निर्धारित मात्रा में संबंधित इकाईयों को आई.ई.सी. उपलब्ध करायी जाये।

जनपद मिर्जापुर एवं सन्तरविदास नगर में जनपदीय सहयोगात्मक पर्यवेक्षण में निम्नलिखित अनुपालन अपेक्षित है–

- जनपद में सहयोगात्मक पर्यवेक्षण के अन्तर्गत राज्य मुख्यालय से प्रेषित की गयी चेकलिस्टे नहीं भरी जा रही है जिसके अभाव में एन0एच0एम0 के अन्तर्गत संचालित कार्यक्रमों में वांछिनीय गुणात्मक सुधार नहीं हो पा रहा है।
- जनपद में जिला कार्यक्रम प्रबन्धक के द्वारा प्रत्येक माह जनपद व ब्लाक मुख्यालय में सहयोगात्मक पर्यवेक्षण के अन्तर्गत संचालित वाहन चेकलिस्ट की संकलित प्रगति सूचना अंकित किये बिना वाहनो का भुगतान किया जा रहा है।

- राज्य टीम द्वारा निर्देश दिये गये कि माह फरवरी 2020 में मण्डल कार्यक्रम प्रबन्धक एवं सम्बन्धित तीनों जनपद के जिला कार्यक्रम प्रबन्धक द्वारा वित्तीय वर्ष 2019–20 की समस्त चेकलिस्टों के सापेक्ष संकलित सूचना महाप्रबन्धक, एम0एण्डई0 एस0पी0एम0यू0 को प्रेषित की जायेगी।

दिनांक 24 जनवरी 2020 की समीक्षा बैठक से सम्बन्धित मुख्य बिन्दु

- मण्डलीय क्वालीटी परामर्शदाता, जनपदीय परामर्शदाता एवं हास्पिटल मैनेजर द्वारा लगभग 2016 से नियुक्त होने के उपरान्त भी एन.क्यू.ए.एस कायाकल्प में कोई उपलब्धि नहीं है व स्वास्थ्य इकाईयों का क्वालिटी मानकों के अनुरुप उच्चीकरण प्रबंधन नहीं किया जा रहा है।

- जनपद मिर्जापुर एवं संतरविदास नगर के जनपदों में टेण्डर प्रबन्धन प्रकिया मानको के अनुरूप नहीं की जा रही है। टेण्डर प्रक्रिया में पारदर्शिता, प्रीबिट बैठक एवं अनुपालन, टेण्डर समय सीमा तक टेण्डर की प्रभाविकता उपयोग, टेण्डर में निहित नियमों का अनुपालन आदि प्रभावी रूप से कियान्वित नहीं किया जा रहा है।

- जनपद मिर्जापुर में संगम एजेंसी द्वारा बी0एम0डब्ल्यू0 सेवा प्रदान की जा रही है किन्तु प्राथमिक/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर सेवा प्रदान नहीं की जा रही है। राज्य टीम द्वारा निर्देश दिये गये कि टेण्डर में निहित सेवा शर्तो के आधार पर अन्य स्वास्थ्य इकाईयों पर बी0एम0डब्ल्यू0 सेवा ली जायें अन्यथा टेण्डर में निहित नियमों के सापेक्ष च्मदंसजल कटौती की जायें।

- मण्डल मुख्यालय पर लगभग 8 संविदा कर्मी कार्यरत है जनपद मुख्यालय लगभग 24 सलाहकार/प्रबंधक/समन्वयक आदि एन.एच.एम. के तत्वाधान में कार्यरत है, किन्तु समेकित रुप से एन.एच.एम. द्वारा पदानुक्रम निरुपित न होने के कारण संबंधित मानव संसाधन का सदुपयोग नहीं किया जा रहा है।

- मानव संसाधन नियामावली के अन्तर्गत जनपद मिर्जापुर एव संतरविदास नगर ब्लाक एवं उपकेन्द्र स्तर पर प्रतिवर्ष कार्य के आधारों पर कार्य मूल्याकन किये जाने हेतु सुस्पष्ट एकीकृत Work Appraisal चेकलिस्ट बनाया जाना एवं पदानुक्रम में ।चचतंपेंस किया जाना आवश्यक है।

- जनपद स्तर पर लगभग 26 मासिक रिपोर्टिग पोर्टल पर सूचनायें अंकित की जाती है। जिससे सूचना की गुणवत्ता एवं धन मितव्ययता होती है अतः आवश्यक है कि जनपद स्तरीय रिपोर्टिग पोर्टल सूचना को मूल्याकित कर पुनः आवश्यक पोर्टल सूचनायें ली जायें।

- डेटा वेलिडेशन जनपदों द्वारा नहीं किया जा रहा है जिसके अभाव में सूचनाओं के आधार पर गुणात्मक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हो रही है।

2. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र :–(चुनार), मिर्जापुर का लेखा एवं रिकॉर्ड का बिंदुवार आख्या निम्नवत है:– भ्रमण की तिथि:– 22.01.2020

कम संख्या	अवलोकन बिन्दु	सुझाव/कार्यवाही जो की जानी है।	जिम्मेदार व्यक्ति
1	कैश बुक की प्रतिदिन बैलेंसिंग और टोटलिंग नहीं की जा रही है तथा सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा कैशबुक पर किये गये हस्ताक्षर को मोहर लगाके सत्यापित नहीं किया जा रहा है।	प्रतिदिन बैलेंसिंग और टोटलिंग की जानी चाहिए तथा अधिकारियों द्वारा मोहर लगाकर सत्यापित किया जाना अनिवार्य है।	ब्लॉक लेखा प्रबंधक/ चिकित्सा अधीक्षक
2	दिनांक 22.01.2020 को निरीक्षण के दौरान संज्ञान में आया कि केवल 24.08.2019 तक की कैश बुक में इन्ट्री की गयी है।	प्रतिदिन कैशबुक लिखी जानी अनिवार्य है।	ब्लॉक लेखा प्रबंधक
3	ब्लॉक लेखा प्रबंधक द्वारा माह नवम्बर 2019 का बैंक समाधान विवरण बनाया गया है किन्तु माह दिसम्बर 2019 का बैंक समाधान विवरण नहीं बनाया गया है।	प्रति माह बैंक समाधान स्टेटमेंट बनाया जाना चाहिए।	ब्लॉक लेखा प्रबंधक/ चिकित्सा अधीक्षक /लेखा लिपिक
4	दिनांक 26.12.2019 से 15.01.2020 तक तैयार की गयी पी0एफ0एम0एस0 एडवाईज् को पी0एफ0एम0एस0 रजिस्टर पर अंकित किया गया है किन्तु पी0एफ0एम0एस0 रजिस्टर पर हस्ताक्षर किये बिना ही उक्त एडवाईज्ों को बैंक में भुगतान हेतु प्रेषित कर	पी0एफ0एम0एस0 पोर्टल से तैयार समस्त पी0एफ0एम0एस0 एडवाईजों को पी0एम0एस0 रजिस्टर में अंकित कर, सम्बन्धित अधिकारी द्वारा रजिस्टर एवं बैंक	ब्लॉक लेखा प्रबंधक/ चिकित्सा अधीक्षक

	दिया गया।	एडवाईज् पर हस्ताक्षर के पश्चात् ही बैंक में भुगतान हेतु प्रेषित करें।	/लेखा लिपिक
5	दिनांक 22.01.2020 को निरीक्षण के दौरान संज्ञान में आया कि केवल 28.08.2019 तक की आर0के0एस0 की कैश बुक में इन्ट्री की गयी है।	प्रतिदिन आर0के0एस0 की कैशबुक लिखी जानी अनिवार्य है।	ब्लॉक लेखा प्रबंधक
6	आर.के.एस. मीटिंग रजिस्टर उपलब्ध नहीं कराया गया।	प्रत्येक आर.के.एस. मीटिंग का कार्यवृत्त लिखा जाना अनिवार्य है।	चिकित्सा अधीक्षक
7	टी०डी०एस० रिटर्न समय से नहीं फाइल किया जा रहा है।	ब्लॉक लेखा प्रबंधक को सुझाव दिया गया की टी०डी०एस० रिटर्न समय से फाइल किया किया जाए ।	चिकित्सा अधीक्षक
8	निरीक्षण के दौरान संज्ञान में आया है कि कोटेशन के माध्यम से चयनित सेवाप्रदाता से रु0 1.00 लाख से अधिक के कार्य कराये गये है।	कोटेशन के माध्यम से चयनित सेवाप्रदाता से अधिकतम रु0 1.00 लाख की सीमा तक कार्य कराये जा सकते है।	
9	निरीक्षण के दौरान जनरेटर की लॉग बुक नहीं उपलब्ध कराई गई।	जनरेटर की लॉग बुक प्रतिदिन पूर्ण कर एवं सम्बंधित अधिकारी से हस्ताक्षरित कराकर प्रस्तुत की जानी चाहिए।	
10	ब्लॉक को बैप के अतिरिक्त आवंटित बजट को बैप में सम्मिलित नहीं किया गया है, जिसके फलस्वरूप कतिपय एफ0एम0एम0आर0 मदों में अवशेष धनराशि त्रणात्मक प्रदर्शित हो रही है।	बैप को शीघ्र अतिशीघ्र अद्यतन करना सुनिश्चित करे	ब्लॉक लेखा प्रबंधक/ चिकित्सा अधीक्षक
11	निरीक्षण के दौरान संज्ञान में आया है कि कतिपय बीजकों का सत्यापन किये बिना एवं पत्रावली पर अनुमोदन लिये बिना ही भुगतान किया गया है।	बिलो का भुगतान सम्बंधित अधिकारी द्वारा सत्यतापित करने एवं सक्षम अधिकारी से अनुमोदन के उपरान्त ही भुगतान किया जाए।	ब्लॉक लेखा प्रबंधक/ चिकित्सा अधीक्षक
12	निरीक्षण के दौरान स्टॉक रजिस्टर नहीं उपलब्ध कराया गया ।	स्टॉक रजिस्टर उपलब्ध कराया जाना चाहिए था ।	
13	एडवांस रजिस्टर नहीं बनाया गया है।	एडवांस रजिस्टर शीघ्र अतिशीघ्र बनाना सुनिश्चित करे ।	ब्लॉक लेखा प्रबंधक
14	निरीक्षण के दौरान पाया गया कि जे0एस0एस0के0 डाईट रजिस्टर को मानक अनुसार नहीं भरा जा रहा है, जिसके कारण डाईट रजिस्टर में अंकित प्रविष्टियों का भुगतान से मिलान नहीं किया जा सका।	जे0एस0एस0के0 रजिस्टर नियमानुसार शीघ्र अतिशीघ्र बनाना सुनिश्चित करे, जिससे भुगतान का मिलान सम्भव हो सके।	चिकित्सा अधीक्षक

2 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र :–(गुरूसण्डी)), मिर्जापुर का लेखा एवं रिकॉर्ड का बिंदुवार आख्या निम्नवत है:– भ्रमण की तिथि:– 21.01.2020

कम संख्या	अवलोकन बिन्दु	सुझाव/कार्यवाही जो की जानी है।	जिम्मेदार व्यक्ति
1	कैश बुक की प्रतिदिन बैलेंसिंग और टोटलिंग नहीं की जा रही है तथा सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा कैशबुक पर किये गये हस्ताक्षर को मोहर लगाके सत्यापित नहीं किया जा रहा है।	प्रतिदिन बैलेंसिंग और टोटलिंग की जानी चाहिए तथा अधिकारियों द्वारा मोहर लगाकर सत्यापित किया जाना अनिवार्य है।	ब्लॉक लेखा प्रबंधक/प्रभारी चिकित्सा अधिकारी
2	दिनांक 21.01.2020 को निरीक्षण के दौरान संज्ञान में आया कि केवल 31.12.2019 तक की कैश बुक में इन्ट्री की गयी थी एवं कैशबुक को दिनांक 30.11.2019 तक सत्यापित किया गया था।	प्रतिदिन कैशबुक लिखी जानी अनिवार्य है।	ब्लॉक लेखा प्रबंधक/लेखा लिपिक
3	ब्लॉक लेखा प्रबंधक द्वारा माह नवम्बर 2019 का बैंक समाधान विवरण बनाया गया है किन्तु माह दिसम्बर 2019 का बैंक समाधान विवरण नहीं बनाया गया है।	प्रति माह बैंक समाधान स्टेटमेंट बनाया जाना चाहिए।	ब्लॉक लेखा प्रबंधक/प्रभारी चिकित्सा अधिकारी

4	कतिपय पी0एफ0एम0एस0 एडवाईज् को पी0एफ0एम0एस0 रजिस्टर पर अंकित किया गया है किन्तु पी0एफ0एम0एस0 रजिस्टर पर हस्ताक्षर किये बिना ही उक्त एडवाईज़ों को बैंक में भुगतान हेतु प्रेषित कर दिया गया।	पी0एफ0एम0एस0 पोर्टल से तैयार समस्त पी0एफ0एम0एस0 एडवाईजों को पी0एम0एस0 रजिस्टर में अंकित कर, सम्बन्धित अधिकारी द्वारा रजिस्टर एवं बैंक एडवाईज् पर हस्ताक्षर के पश्चात् ही बैंक में भुगतान हेतु प्रेषित करें।	ब्लॉक लेखा प्रबंधक / प्रभारी चिकित्सा अधिकारी / लेखा लिपिक
5	दिनांक 22.01.2020 को निरीक्षण के दौरान संज्ञान में आया कि केवल 16.11.2019 तक की आर0के0एस0 की कैश बुक में इन्ट्री की गयी है।	प्रतिदिन आर0के0एस0 की कैशबुक लिखी जानी अनिवार्य है।	ब्लॉक लेखा प्रबंधक
6	आर.के.एस. मीटिंग रजिस्टर उपलब्ध नहीं कराया गया।	प्रत्येक आर.के.एस. मीटिंग का कार्यवृत्त लिखा जाना अनिवार्य है।	प्रभारी चिकित्सा अधिकारी
7	टी०डी०एस० रिटर्न समय से नहीं फाइल किया जा रहा है।	ब्लॉक लेखा प्रबंधक को सुझाव दिया गया की टी०डी०एस० रिटर्न समय से फाइल किया किया जाए ।	प्रभारी चिकित्सा अधिकारी
8	निरीक्षण के दौरान संज्ञान में आया है कि कोटेशन के माध्यम से चयनित सेवाप्रदाता से रु0 1.00 लाख से अधिक के कार्य कराये गये है।	कोटेशन के माध्यम से चयनित सेवाप्रदाता से अधिकतम रु0 1.00 लाख की सीमा तक कार्य कराये जा सकते है।	
9	निरीक्षण के दौरान जनरेटर की लॉग बुक नहीं उपलब्ध कराई गई।	जनरेटर की लॉग बुक प्रतिदिन पूर्ण कर एवं सम्बंधित अधिकारी से हस्ताक्षरित कराकर प्रस्तुत की जानी चाहिए।	
10	निरीक्षण के दौरान संज्ञान में आया है कि कतिपय बीजकों का सत्यापन किये बिना एवं पत्रावली पर अनुमोदन लिये बिना ही भुगतान किया गया है।	बिलो का भुगतान सम्बंधित अधिकारी द्वारा सत्यतापित करने एवं सक्षम अधिकारी से अनुमोदन के उपरान्त ही भुगतान किया जाए।	ब्लॉक लेखा प्रबंधक / प्रभारी चिकित्सा अधिकारी
11	ब्लॉक को बैप के अतिरिक्त आवंटित बजट को बैप में सम्मिलित नहीं किया गया है, जिसके फलस्वरूप कतिपय एफ0एम0एम0आर0 मदों में अवशेष धनराशि त्रणात्मक प्रदर्शित हो रही है।	बैप को शीघ्र अतिशीघ्र अद्यतन करना सुनिश्चित करे	
12	निरीक्षण के दौरान स्टॉक रजिस्टर नहीं उपलब्ध कराया गया ।	स्टॉक रजिस्टर उपलब्ध कराया जाना चाहिए था ।	
13	एडवांस रजिस्टर नहीं बनाया गया है।	एडवांस रजिस्टर शीघ्र अतिशीघ्र बनाना सुनिश्चित करे ।	ब्लॉक लेखा प्रबंधक
14	निरीक्षण के दौरान जे0एस0एस0के0 डाईट रजिस्टर उपलब्ध नहीं कराया गया, जिससे कि डाईट के अन्तर्गत किये गये भुगतान का मिलान किया जा सके।	जे0एस0एस0के0 रजिस्टर शीघ्र अतिशीघ्र बनाना सुनिश्चित करे, जिससे भुगतान का मिलान सम्भव हो सके।	प्रभारी चिकित्सा अधिकारी

3. जिला महिला चिकित्सालय :–(मिर्जापुर) का लेखा एवं रिकॉर्ड का बिंदुवार आख्या निम्नवत है:– भ्रमण की तिथि:– 21.01.2020

क्रम संख्या	अवलोकन बिन्दु	सुझाव / कार्यवाही जो की जानी है।	जिम्मेदार व्यक्ति
1	कैश बुक की प्रतिदिन बैलेंसिंग और टोटलिंग नहीं की जा रही है तथा सम्बन्धित अधिकारियों कैशबुक पर किये गये हस्ताक्षर को मोहर लगाके सत्यापित नहीं किया जा रहा है।	प्रतिदिन बैलेंसिंग और टोटलिंग की जानी चाहिए तथा अधिकारियों द्वारा मोहर लगाकर सत्यापित किया जाना अनिवार्य है।	सी0एम0एस0 / जिला अस्पताल लेखाकार
2	दिनांक 21.01.2020 को निरीक्षण के दौरान संज्ञान में आया कि केवल 23.11..2019 तक की कैश बुक में इन्ट्री की गयी थी एवं कैशबुक को दिनांक 31.08.2019 तक सत्यापित किया गया था।	प्रतिदिन कैशबुक लिखी जानी अनिवार्य है।	सी0एम0एस0 / जिला अस्पताल लेखाकार
3	जिला अस्पताल लेखाकार द्वारा प्रति माह बैंक समाधान विवरण नहीं बनाया जा रहा है।	प्रति माह बैंक समाधान स्टेटमेंट बनाया जाना चाहिए।	जिला अस्पताल लेखाकार
4	कतिपय पी0एफ0एम0एस0 एडवाईज् को पी0एफ0एम0एस0 रजिस्टर पर अंकित किया गया है किन्तु पी0एफ0एम0एस0 रजिस्टर पर हस्ताक्षर किये बिना ही उक्त एडवाईज्ों को बैंक में भुगतान हेतु प्रेषित कर दिया गया।	पी0एफ0एम0एस0 पोर्टल से तैयार समस्त पी0एफ0एम0एस0 एडवाईजों को पी0एम0एस0 रजिस्टर में अंकित कर, सम्बन्धित अधिकारी द्वारा रजिस्टर एवं बैंक एडवाईज् पर हस्ताक्षर के पश्चात् ही बैंक में भुगतान हेतु प्रेषित करें।	सी0एम0एस0 / जिला अस्पताल लेखाकार
5	दिनांक 22.01.2020 को निरीक्षण के दौरान संज्ञान में आया की आर0के0एस0 की कैश बुक नहीं बनायी गयी है।	प्रतिदिन आर0के0एस0 की कैशबुक लिखी जानी अनिवार्य है।	जिला अस्पताल लेखाकार
6	आर.के.एस. मीटिंग रजिस्टर उपलब्ध नहीं कराया गया।	प्रत्येक आर.के.एस. मीटिंग का कार्यवृत्त लिखा जाना अनिवार्य है।	सी0एम0एस0
7	टी०डी०एस० रिटर्न समय से नहीं फाइल किया जा रहा है।	ब्लॉक लेखा प्रबंधक को सुझाव दिया गया की टी०डी०एस० रिटर्न समय से फाइल किया किया जाए ।	सी0एम0एस0 / जिला अस्पताल लेखाकार
8	निरीक्षण के दौरान जनरेटर की लॉग बुक नहीं उपलब्ध कराई गई।	जनरेटर की लॉग बुक प्रतिदिन पूर्ण कर एवं सम्बंधित अधिकारी से हस्ताक्षरित कराकर प्रस्तुत की जानी चाहिए।	
9	निरीक्षण के दौरान संज्ञान में आया है कि कतिपय बीजकों का सत्यापन किये बिना एवं पत्रावली पर अनुमोदन लिये बिना ही भुगतान किया गया है।	बिलो का भुगतान सम्बंधित अधिकारी द्वारा सत्यतापित करने एवं सक्षम अधिकारी से अनुमोदन के उपरान्त ही भुगतान किया जाए।	सी0एम0एस0 / जिला अस्पताल लेखाकार
10	डी0डब्लू0एच0 को डैप के अतिरिक्त आवंटित बजट को डैप में सम्मिलित नहीं किया गया है, जिसके फलस्वरूप कतिपय एफ0एम0एम0आर0 मदों में अवशेष धनराशि त्रणात्मक प्रदर्शित हो रही है।	डी0डब्लू0एच0 के डैप को शीघ्र अतिशीघ्र अद्यतन करना सुनिश्चित करे	
11	निरीक्षण के दौरान स्टॉक रजिस्टर नहीं उपलब्ध कराया गया ।	स्टॉक रजिस्टर उपलब्ध कराया जाना चाहिए था ।	
12	एडवांस रजिस्टर नहीं बनाया गया है।	एडवांस रजिस्टर शीघ्र अतिशीघ्र बनाना सुनिश्चित करे ।	जिला अस्पताल लेखाकार

13	निरीक्षण के दौरान संज्ञान में आया है कि जे0एस0एस0के0 कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभार्थियों को डाईट दी जा रही है किन्तु माह अप्रैल 2019 से अभी तक कार्यदायी संस्था को भुगतान नहीं किया गया है।	जे0एस0एस0के0 डाईट रजिस्टर में ससमय प्रविष्टी अंकित करें तथा डाईट के0 लम्बित भुगतानों के सम्बन्ध में सी0एम0एस0 द्वारा स्थिति स्पष्ट किया जाना अपेक्षित है।	सी0एम0एस0 / जिला अस्पताल लेखाकार

4.जिला मुख्यालय :–(मिर्जापुर) का लेखा एवं रिकॉर्ड का बिंदुवार आख्या निम्नवत है:– भ्रमण की तिथि:– 23.01.2020

कम संख्या	अवलोकन बिन्दु	सुझाव / कार्यवाही जो की जानी अपेक्षित है।	उत्तरदायी अधिकारी / कर्मचारी
1	जिला मुख्यालय, मिर्जापुर द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत संचालित निम्न कार्यक्रमों की कैशबुक एवं बैंक समाधान विवरण माह अप्रैल 2019 से नहीं बनाया जा रहा है:– 1. आर0सी0एच0 2. एच0एस0एस0, 3. आर.आई. 4. आई0डी0एस0पी0, 5. एन0वी0बी0डी0सी0पी0, 6. एन0एल0ई0पी0, 7. आर.एन0टी0सी0पी0, 8. एन0बी0सी0पी0, 9. एन0एम0एच0पी0, 10. एन0पी0एच0सी0ई0, 11. एन0टी0सी0पी0, 12. एन0पी0सी0सी0डी0सी0एस0, 13. एन0यू0एच0एम0	भारत सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गयी आपरेशनल गाइडलाइन्स फार फाइनेन्सियल मैनेजमेन्ट में वर्णित लेखा पुस्तकों को तैयार एवं उसका रख–रखाव अनिवार्य रूप से किया जाना है। लेखा पुस्तकों एवं बैंक समाधान विवरण को शीघ्र अतिशीघ्र अद्यतन करना सुनिश्चित करें। प्रतिदिन बैलेंसिंग और टोटलिंग की जानी चाहिए तथा अधिकारियों द्वारा मोहर लगाकर सत्यापित किया जाना अनिवार्य है।	मुख्य चिकित्साधिकारी / जिला लेखा प्रबन्धक / एन0एच0एम0 लेखाकार
2	निरीक्षण के दौरान संज्ञान में आया है जनपद स्तर पर कतिपय सेवाप्रदाता का चयन मात्र दो तकनीकी रूप से आहर्य बिडों के आधार पर कर लिया गया है तत्क्रम में सम्बन्धित सेवाप्रदाता को कार्य आवंटित कर दिया गया है।	सेवाप्रदाता के चयन हेतु तकनीकी रूप से न्यूनतम 03 बिडों का होना अनिवार्य है। अतः नियमानुसार सेवाप्रदाता का चयन करना सुनिश्चित करें।	मुख्य चिकित्साधिकारी / प्रोक्योरमेन्ट कमेटी
3	कान्करेन्ट ऑडिटर द्वारा जनपद एवं ब्लॉक स्तर पर प्रत्येक माह निरीक्षण / ऑडिट नहीं किया जा रहा है। जिला लेखा प्रबन्धक द्वारा अवगत कराया गया है कि कान्करेन्ट ऑडिटर द्वारा माह सितम्बर 2019 तक का ऑडिट ही किया गया है। पर्याप्त समय व्यतीत हो जाने के बाद भी अभी तक माह दिसम्बर 2019 का ऑडिट नहीं किया गया है।	कान्करेन्ट ऑडिटर द्वारा जनपद एवं ब्लॉक स्तर पर प्रत्येक माह ऑडिट किया जाना अनिवार्य है।	मुख्य चिकित्साधिकारी / जिला लेखा प्रबन्धक / कान्करेन्ट ऑडिटर
4	टी०डी०एस० रिटर्न समय से नहीं फाइल किया जा रहा है।	जिला लेखा प्रबंधक को सुझाव दिया गया की टी०डी०एस० रिटर्न समय से फाइल किया किया जाए ।	जिला लेखा प्रबन्धक / एन0एच0एम0 लेखाकर

5	निरीक्षण के दौरान संज्ञान में आया है कि कतिपय बीजकों का सत्यापन किये बिना एवं पत्रावली पर अनुमोदन लिये बिना ही भुगतान किया गया है।	बिलो का भुगतान सम्बंधित अधिकारी द्वारा सत्यतापित करने एवं सक्षम अधिकारी से अनुमोदन के उपरान्त ही भुगतान किया जाए।	मुख्य चिकित्साधिकारी / एन0एच0एम0 लेखाकर
6	जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा माह दिसम्बर 2019 तक समस्त संविदा कर्मियों का भुगतान किया गया है। संविदा कर्मियों के अवकाश के सन्दर्भ में किसी प्रकार का कोई विवरण नही रखा गया है।	संविदा कर्मियों को मिलने वाले आकास्मिक अवकाश / चिकित्सा अवकाश / मात्तृव अवकाश का अभिलेख जनपद स्तर पर रखा जाना चाहिए।	जिला लेखा प्रबन्धक / एन0एच0एम0 लेखाकर
7	जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा पी0एफ0एम0एस0 निर्गत पंजीका निर्धारित प्रारूप पर नही पायी गयी।	वित्त अनुभाग राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई द्वारा उपलब्ध कराये गये पंजीका बनायी जानी चाहिए।	मुख्य चिकित्साधिकारी / द्वितीय हस्ताक्षरी / एन0एच0एम0 लेखाकर
8	सी0एच0सी0 / पी0एच0सी0 / अन्य को देय का अग्रिम रजिस्टर नही बनाया गया है।	एडवांस रजिस्टर शीघ्र अतिशीघ्र बनाना सुनिश्चित करे।	एन0एच0एम0 लेखाकर
9	ग्रान्ट रजिस्टर नही बनाया गया है।	ग्रान्ट रजिस्टर शीघ्र बनाया जाना चाहिए।	एन0एच0एम0 लेखाकर
10	जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा माह दिसम्बर 2019 तक कुल स्वीकृत बजट रू0 5692.78 लाख के सापेक्ष रू0 3520.36 लाख का व्यय किया गया है जो मात्र 61.84 प्रतिशत है।	जनपद द्वारा ब्लाक लेखा प्रबन्धको एवं चिकित्सा अधिकारियों की सप्ताहिक बैठक कर, जिन मदों में अत्यधिक अवशेष है, की मदवार समीक्षा की जानी चाहिए।	मुख्य चिकित्साधिकारी / जिला लेखा प्रबन्धक
11	निरीक्षण के दौरान संज्ञान में आया है कि एन0यू0एच0एम0 कार्यक्रम के अन्तर्गत किराये पर लिये गये भवनों का अनुबन्ध समाप्त हो गया है किन्तु अनुबन्ध का नवीनीकरण किये बिना ही अग्रतर भुगतान जा रहा है।	किराये पर लिये गये भवनों का नियमानुसार नवीनीकरण के उपरान्त ही अग्रतर भुगतान किया जाए।	मुख्य चिकित्साधिकारी / एन0यू0एच0एम0 नोडल अधिकारी / डी0डी0ए0ए0, एन0यू0एच0एम0
12	पी0एफ0एम0एस0 पोर्टल से भुगतान हेतु राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई द्वारा पी0एफ0एम0एस0 द्वारा भुगतान हेतु चेकर, मेकर, एडमीन से सम्बन्धित विस्तृत दिशा–निर्देश उपलब्ध कराये गये है। जिसका अनुपालन जनपद द्वारा नही किया जा रहा है।	आन्तरिक नियन्त्रण हेतु राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई द्वारा उपलब्ध कराये गये दिशा–निर्देश अनुसार पी0एफ0एम0एस0 द्वारा भुगतान किया जाना चाहिए।	मुख्य चिकित्साधिकारी
13	जनपद को डैप के अतिरिक्त आवंटित बजट को डैप में सम्मिलित नहीं किया गया है, जिसके फलस्वरूप कतिपय एफ0एम0एम0आर0 मदों में अवशेष धनराशि त्रणात्मक प्रदर्शित हो रही है।	डैप को शीघ्र अतिशीघ्र अद्यतन करना सुनिश्चित करे	जिला लेखा प्रबन्धक
14	जनपद मिर्जापुर द्वारा वित्तीय वर्ष 2018–19 कि बैलेन्स शीट की हस्ताक्षरित प्रति राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई को अभी तक उपलब्ध नहीं करायी गयी है।	वित्तीय वर्ष 2018–19 की हस्ताक्षरित बैलेन्स शीट (तीन प्रतियों में) राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई को शीघ्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।	मुख्य चिकित्साधिकारी / जिला लेखा प्रबन्धक
15	निरीक्षण के दौरान संज्ञान में आया है कि कतिपय सेवाप्रदाताओं / कार्यदायी संस्था द्वारा प्रदान की गयी सेवाओं	सेवाप्रदाताओं / कार्यदायी संस्थाओं का चयन	

	/वस्तुओं के उर्पाजन के सापेक्ष भुगतान किया गया है किन्तु उक्त सेवाप्रदाता/कार्यदायी संस्था को प्रतिस्पर्धात्मक दरों के आधार पर चयनित नहीं किया गया है।	प्रतिस्पर्धात्मक दरों के आधार पर नियमानुसार किया जाना सुनिश्चित करें।	मुख्य चिकित्साधिकारी /सम्बन्धित कार्यक्रम अधिकारी/प्रोक्योरमेन्ट कमेटी

5.सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द, (गोपीगंज) ,भदोही का लेखा एवं रिकॉर्ड का बिंदुवार आख्या निम्नवत है:– भ्रमण की तिथि:– 20.01.2020

कम संख्या	अवलोकन बिन्दु	सुझाव/कार्यवाही जो की जानी है।	जिम्मेदार व्यक्ति
1	चिकित्सा अधीक्षक द्वारा कैश बुक एवं अन्य लेखा अभिलेखों को निरीक्षण हेतु उपलब्ध नहीं कराया गया। उनके द्वारा अवगत कराया गया कि समस्त लेखा अभिलेख ब्लॉक लेखा प्रबन्धक द्वारा संरक्षित किये जाते है। अतः ब्लॉक लेखा प्रबन्धक के अनुपस्थित होने के फलस्वरूप उक्त रिकार्ड का निरीक्षण नहीं किया जा सका।	रा.स्वा. मि. के अन्तर्गत कैशबुक, बैंक समाधान विवरण एवं अन्य लेखा अभिलेखों का प्रतिदिन रिकार्ड बनाया जाना अनिवार्य है तथा ब्लॉक लेखा प्रबन्धक की अनुपस्थिति में उक्त अभिलेखों के संरक्षण की व्यवस्था की जानी अपेक्षित है, जिससे उक्त अभिलेखों का ससमय रख–रखाव एवं निरीक्षण/अवलोकन किया जा सके।	ब्लॉक लेखा प्रबंधक/ चिकित्सा अधीक्षक
2	निरीक्षण के दौरान जे0एस0एस0के0 डाईट रजिस्टर उपलब्ध कराया गया, जिससे संज्ञान में आया कि डाईट रजिस्टर को प्रतिदिन अद्यतन नहीं किया जा रहा है। डाईट रजिस्टर अद्यतन न होने के कारण डाईट के सापेक्ष किये गये भुगतान का मिलान नहीं किया जा सकता है, जिससे वित्तीय अनियमित्ता होने की सम्भावना बढ़ जाती है।	जे0एस0एस0के0 डाईट रजिस्टर शीघ्र अतिशीघ्र अद्यतन करना सुनिश्चित करे, जिससे भुगतान का मिलान सम्भव हो सके।	चिकित्सा अधीक्षक
3	चिकित्सा अधीक्षक द्वारा अवगत कराया गया कि सी0एच0सी0, गोपीगंज को बैप के साापेक्ष पूर्ण धनराशि अवमुक्त नहीं की गयी है, जिससे ब्लॉक स्तर पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से सम्बन्धित कार्यक्रम के संचालन में बाधा उत्पन्न हो रही है।	ब्लॉक के बैप के सापेक्ष धनराशि को ससमय अवमुक्त करना सुनिश्चित करें, जिससे विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों का संचालन सुचारू रूप से हो सके।	मुख्य चिकित्साधिकारी/ जिला लेखा प्रबन्धक/ चिकित्सा अधीक्षक / ब्लॉक लेखा प्रबंधक

मिर्जापुर मण्डल की मण्डलीय समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त दिनांक – 23.01.2020

अपर मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 के पत्र संख्या–SPMU/NHM/Visit/2019-20/32A/8690-3 दिनांक 16.01.2020 के अनुपालनार्थ दिनांक 23 जनवरी, 2020 को जनपद मिर्जापुर, भदोही एवं सोनभद्र का सहयोगात्मक पर्यवेक्षण करने के उपरान्त मण्डलीय समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। समीक्षा बैठक के मुख्य बिन्दुओं का विवरण निम्नानुसार है:–

- अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय द्वारा समस्त प्रतिभागियों का स्वागत किया गया एवं बैठक का प्रारम्भ महाप्रबन्धक, एम. एण्ड ई. महोदया द्वारा किया गया तथा बैठक आयोजित किये जाने के उद्देश्य से अवगत कराया गया।
- मण्डलीय कार्यक्रम प्रबन्धक द्वारा जनपदवार/कार्यक्रमवार प्रस्तुतिकरण किया गया।
- अवगत कराया गया कि जनपद सोनभद्र आकांक्षीय जनपद होने के उपरान्त भी सबसे अधिक पद रिक्त हैं तथा एच.एम.आई.एस. में जनपद की स्थिति कभी संतोषजनक नहीं रही है।
- बैठक में अवगत कराया गया कि जनपद स्तरीय चिकित्सालयों से एच.एम.आई.एस. की रिपोर्ट कभी समय से प्रेषित नहीं की जाती है।

- मण्डलीय कार्यक्रम प्रबन्धक द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद स्तर से राज्य स्तर को विभिन्न अनुभागों को रिपोर्ट प्रेषित की जाती है और मण्डल स्तर पर रिपोर्ट प्रेषित नहीं की जाती है जिससे असहज स्थिति उत्पन्न हो जाती है। उक्त के अनुपालन में निर्देशित किया गया कि रिपोर्ट प्रेषित करने में उच्चाधिकारियों को अवश्य अवगत कराया जाये और एक प्रति भी प्रेषित की जाये।
- बैठक में अवगत कराया गया कि जनपद भदोही के ज्ञानपुर चिकित्सालय में एक डीजीओ तैनात है जो एक माह में एक सिजेरियन प्रसव करती हैं।
- जनपद भदोही में बजट आवंटित होने के उपरान्त भी एस.एन.सी.यू. की स्थापना नहीं हो सकी है।
- समीक्षा में पाया गया कि उपकेन्द्र स्तरीय हेल्थ एण्ड वेलनेस सेण्टर हेतु अनुमन्य रू0 30000 की अतिरिक्त असम्बद्ध मद में तीनों जनपदों द्वारा शून्य धनराशि व्यय की गयी है।
- जनपद भदोही एवं मिर्जापुर द्वारा क्रमशः 17 व 21 प्रतिशत एम. एण्ड ई. चेकलिस्ट अपलोड की गयी हैं जबकि जनपद सोनभद्र के ऑकड़े उपलब्ध नहीं हो सके। चेकलिस्ट को अपलोड करने में आ रही कठिनाई का समाधान राज्य स्तरीय दल द्वारा किया गया।
- सामु0 स्वा0 केन्द्र, गोपीगंज जनपद भदोही में प्रसव पंजिका इत्यादि मुद्रित रूप में उपलब्ध नहीं है।
- मण्डल स्तरीय समीक्षा बैठक में जनपद भदोही से किसी भी अपर/उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रतिभाग नहीं किया गया।
- जनपद भदोही में सफाई व्यवस्था हेतु सेवा प्रदाता एजेंसी द्वारा कार्मिक नहीं उपलब्ध कराये जा रहे हैं।
- जनपद सोनभद्र में सेवा प्रदाता संस्था द्वारा जिला संयुक्त चिकित्सालय के अतिरिक्त किसी भी चिकित्सा इकाई पर सेवा प्रदान नहीं की जा रही है। उक्त के क्रम में अवगत कराया गया कि मार्केट सर्वे के आधार पर टेण्डर किया जाये, प्री बिड करायी जाये एवं सेवा प्रदाता एजेन्सी से प्रस्तुतिकरण कराया जाये।
- मण्डल मिर्जापुर में रोगी कल्याण समिति के पंजीका को नहीं भरा जा रहा है।
- जनपद सोनभद्र में जिला लेखा प्रबन्धक द्वारा अवगत कराया गया है कि ब्लड बैक में डी0ई0ओ0 की नियुक्ति स्पष्ट नहीं है तद्क्रम में निर्देश दिये गये है कि एन0एच0एम0 नियमावली पर नियुक्ति स्पष्ट होने के उपरान्त ही सेवायें ली जायें।
- बायोमेडिकल वेस्ट टेण्डर को राज्य स्तर से संशोधित करने की आवश्यकता है।
- बायोमेडिकल वेस्ट सेवा प्रदाता संस्था "संगम" द्वारा प्लान्ट हण्डिया में बनाया गया है। जनपद सोनभद्र से दूरी अधिक होने के कारण सेवा प्रदाता संस्था द्वारा कार्य करने से मना कर दिया गया है।
- जनपद भदोही में क्वालिटी एश्योरेंस के अन्तर्गत एक जनपदीय कन्सल्टैण्ट व दो हास्पिटल क्वालिटी मैनेजर तैनात हैं जिनके द्वारा एक भी इकाई को पुरस्कार हेतु चिन्हित नहीं किया गया है।
- हास्पिटल क्वालिटी मैनेजर बैठक में अनुपस्थित हैं।
- बायोमेडिकल वेस्ट हेतु शेडिंग कराये जाने हेतु प्रति जनपद रू 3.00 लाख की धनराशि आवंटित की गयी है जिसमें जनपद सोनभद्र के अलावा किसी जनपद द्वारा व्यय नहीं किया गया है।
- जिला महिला चिकित्सालय जनपद मिर्जापुर में प्रसव पंजिकाओं में अधूरी सूचनायें दर्ज की जा रहीं हैं। आर.सी.एच. नम्बर दर्ज नहीं किया जा रहा है तथा प्रसूताओं से धन वसूली की जा रही है।
- राज्य कार्यक्रम प्रबन्धक महोदय द्वारा अवगत कराया गया कि प्रत्येक चिकित्सा इकाई को एन.क्यू.ए.एस. तथा कायाकल्प हेतु अवसर प्रदान किया जाये।
- एम्बुलेंस सेवा का सत्यापन प्रमुख सचिव महोदय के निर्देशानुसार कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया।
- डी.ई.आई.सी. मैनेजर सोनभद्र द्वारा अवगत कराया गया कि लखनऊ एवं अलीगढ़ को संदर्भित किये गये बच्चों के परिजनों के पास परिवहन हेतु धनराशि न होने के कारण वह उपचार नहीं करा पाते हैं। उक्त के अनुपालन में जिलाधिकारी महोदय के स्तर से परिवहन व्यवस्था कराये जाने का सुझाव दिया गया।

- क्वालिटी कार्यक्रम के अन्तर्गत मण्डल एवं जनपद स्तर के सलाहकारों द्वारा कार्य संतोषजनक नहीं पाया गया एवं जिला चिकित्सालय में कार्यरत क्वालिटी प्रबन्धकों द्वारा मानको के अनुरूप कार्य में रूचि नहीं ली जा रही है।
- जिला महिला चिकित्सालय मिर्जापुर में तैनात काउन्सलर सुश्री निशा मिश्रा मार्च, 2019 से अनुपस्थित हैं।
- औसत आशा भुगतान समस्त जनपदों का राज्य औसत से अधिक पाया गया।
- जननी सुरक्षा योजना की उपलब्धि समस्त जनपदों की अत्यधिक दर्शायी गयी है जिसमें सुधार किये जाने की आवश्यकता है।
- जनपद सोनभद्र में राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु राज्य स्तर से किट अपेक्षित है।
- सामु0 स्वा0 केन्द्र चुनार में अत्यधिक गंदगी पायी गयी।
- मण्डलीय कार्यक्रम प्रबन्धक को उत्तरदायित्व दिया गया कि वह एम.सी.एच. विंग और जिला महिला चिकित्सालय की उपलब्धियों का तुलनात्मक विवरण प्रस्तुत किया जाये।
- जिला कम्युनिटी प्रोसेस प्रबन्धक जनपद मिर्जापुर को जनपद सोनभद्र का अतिरिक्त प्रभार होने के कारण जनपद सोनभद्र में किये गये भ्रमण का टीए/डीए तैनाती स्थल से निर्गत नहीं किया जा रहा है जिस पर आपत्ति दर्ज की गयी और निर्देशित किया गया कि नियमानुसार तत्काल सम्बन्धित का टीए/डीए निर्गत करना सुनिश्चित करें।
- जनपद भदोही एवं सोनभद्र द्वारा अवगत कराया गया कि कन्करेंट ऑडिटर हेतु चयनित संस्था द्वारा कार्य में रूचि नहीं ली जा रही है।
- भ्रमण की गयी इकाईयों में एक लाख से अधिक का भुगतान एक ही संस्था को कोटेशन के माध्यम से किया गया है।
- जनपद मिर्जापुर की शहरी स्वास्थ्य इकाई का किराया अनुबन्ध मार्च, 2018 में समाप्त हो गया है। जिस पर अभी भी भुगतान किया जा रहा है।
- कोटेशन/टेण्डर दो अधिकारियों के मध्य किया गया है।
- जे.एस.एस.के. डायट पंजिका समुचित रूप से तैयार नहीं की जा रही है।
- जनपद भदोही में शहरी आशा का चयन नहीं किया गया है।
- मण्डल के समस्त जनपदों में मानव संसाधन का रेशनल डिप्लायमेंट नहीं किया गया है।
- जनपद मिर्जापुर में ब्लॉक कार्यक्रम प्रबन्धक की नियुक्ति लम्बित है।
- मण्डलीय एम. एण्ड ई. सहायक द्वारा सहयोगात्मक भ्रमण की चेकलिस्ट अपलोड की जायेंगी।
- मण्डलीय कार्यक्रम प्रबन्धक द्वारा अवगत कराया गया कि मण्डलीय कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई में एक कम्प्यूटर ऑपरेटर की आवश्यकता है।

(पी0एच0 कुशवाहा)	(विनोद कुमार द्वितीय)	(अभय द्विवेदी)	(डा0 अनामिका मिश्रा)
समन्वयक (आर0बी0एस0के0.)	वित्त प्रबन्धक	तक0 परामर्शदाता अंधता	महाप्रबन्धक, एम0एण्डई0
एन.एच.एम., लखनऊ	एन.एच.एम., लखनऊ	एन.एच.एम., लखनऊ	एन.एच.एम., लखनऊ

03/02/2020

डा0 अशोक कुमार पालीवाल
राज्य कार्यक्रम प्रबन्धक
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

अपर निदेशक
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
मण्डल मिर्जापुर, उ0प्र0।

पत्रांक–SPMU/NHM/Visit/2019-20/32A/ दिनांक–03/02/2020

विषयः– दिनांक 20 से 24 जनवरी, 2020 तक एन0एच0एम0 के अन्तर्गत संचालित कार्यक्रमों के राज्य स्तरीय सहयोगात्मक पर्यवेक्षण के दौरान प्रकाश में आये मुख्य बिन्दुओं पर समयबद्ध अपेक्षित सुधार/कार्यवाही के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयांक के क्रम में अवगत कराना है कि दिनांक 20 से 24 जनवरी, 2020 के मध्य राज्य स्तर से जनपदीय नामित अधिकारियों द्वारा एन0एच0एम0 के अन्तर्गत संचालित कार्यक्रमों के प्रभावी संचालन हेतु जनपद मिर्जापुर, सोनभद्र एवं सन्त रविदास नगर का सहयोगात्मक पर्यवेक्षण किया गया एवं दिनांक 23 जनवरी 2020 को मण्डलीय समीक्षा बैठक आयोजित की गयी थी तद्सम्बन्ध में किये गये सहयोगात्मक पर्यवेक्षण की भ्रमण आख्या पत्र के साथ सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न है।

उपरोक्त के क्रम में सम्बन्धित बिन्दुओं पर मानको के अनुरूप सुधार हेतु जिला स्वास्थ्य समिति मिर्जापुर, सोनभद्र एवं सन्त रविदास नगर की मासिक समीक्षा बैठक में सम्बन्धित अधिकारी/चिकित्सक/नोडल/ब्लाक प्रभारी/जनपद स्तरीय समन्वयक एवं प्रबन्धकों का समयबद्ध अनुपालन सुनिश्चित किया जाना है। तद्उपरान्त मुख्य चिकित्साधिकारी, मिर्जापुर, सोनभद्र एवं सन्त रविदास नगर द्वारा 02 सप्ताह में संलग्न भ्रमण आख्या की "अनुपालन आख्या" एम0एण्डई0 अनुभाग (menhm2019@gmail.com) एस0पी0एम0यू0, राज्य मुख्यालय को प्रेषित की जानी है।

कृपया आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

संलग्नक– यथोक्त।

भवदीय,

(डा0 अशोक कुमार पालीवाल)
राज्य कार्यक्रम प्रबन्धक

पत्रांक–SPMU/NHM/Visit/2019-20/32A/ 9115-12 तद्दिनांक

प्रतिलिपि– कार्यक्रम हित में सूचनार्थ एवं समयबद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0।
2. अपर मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0।

3. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0।
4. महानिदेशक, परिवार कल्याण महानिदेशालय, उ0प्र0।
5. मण्डलायुक्त, मण्डल मिर्जापुर।
6. समस्त जिलाधिकारी, मण्डल मिर्जापुर।
7. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, मण्डल मिर्जापुर, उ0प्र0 को इस आशय से कि उपरोक्तानुसार समयबद्ध अनुपालन करवाकर भ्रमण आख्या की सूचना एस0पी0एम0यू0, एन0एच0एम0 को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
8. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका, संयुक्त चिकित्सालय /जिला चिकित्सालय मण्डल मिर्जापुर।
9. वित्त नियंत्रक/समस्त महाप्रबंधक/उपमहाप्रबंधक, अधिशासी अभियंता, एस0पी0एम0यू0, एन0एच0एम0, उ0प्र0।
10. समस्त जनपदीय नोडल अधिकारी एवं क्षेत्रीय उप–मुख्य चिकित्साधिकारी, मण्डल मिर्जापुर अपने आवंटित कार्यक्रमो की गुणवत्ता हेतु उपरोक्तानुसार समयबद्ध अनुपालन करना सुनिश्चित करें।
11. मण्डलीय कार्यक्रम/लेखा प्रबन्धक/सलाहकार, क्यू0ए0/कम्युनिटी/एम0एण्डई0/एन0यू0एच0एम0 मण्डल मिर्जापुर।
12. जनपद स्तरीय जिला कार्यक्रम/लेखा प्रबन्धक, डी0पी0एम0यू0, डी0ई0आई0सी/क्यू0ए0/एन0यू0एच0एम0/एन0सी0डी0 इकाई, मण्डल मिर्जापुर।

(डा0 अनामिका मिश्रा)
महाप्रबन्धक, एम0एण्डई0